

अध्याय-2

राज्य के वित्त

अध्याय-2

राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह अध्याय 2019-20 से 2023-24 तक पंच-वर्षीय अवधि के दौरान, राज्य के वित्त लेखों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखा के लेन-देनों की समग्र प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है।

2.1 2022-23 के सापेक्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में हुए मुख्य परिवर्तन

तालिका-2.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में गत वर्ष की तुलना में हुए मुख्य परिवर्तनों के संबंध में एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन सभी संकेतकों को अनुवर्ती प्रस्तरों में विश्लेषित किया गया है।

तालिका-2.1: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में परिवर्तन

राजस्व प्राप्ति में 3.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य की स्वयं कर प्राप्ति में 12.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ स्वयं की करेत्तर प्राप्ति में 1.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ केंद्रीय करों एवं शुल्कों के राज्य के अंशदान में 18.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 15.73 प्रतिशत की कमी हुई।
राजस्व व्यय में 8.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 4.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 11.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सहायता अनुदान पर व्यय में 25.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
पूँजीगत प्राप्ति में 96.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति में 44.83 प्रतिशत की कमी हुई। ➤ ऋण पूँजीगत प्राप्ति में 96.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
पूँजीगत व्यय में 34.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 46.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 73.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 12.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
ऋणों एवं अग्रिमों में 40.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 31.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 5.88 प्रतिशत की कमी हुई।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्ति में 96.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ लोक ऋणों के पुनर्भुगतान में 0.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्ति में 11.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ लोक लेखा संवितरणों में 9.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नकद शेष में 22.16 प्रतिशत की कमी हुई।

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग


तालिका-2.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के घटकों की तुलना 2022-23 के आँकड़ों से करती है जबकि संसाधनों के संघटकों की वृद्धि तालिका-2.2 (क) में दी गयी है। चार्ट-2.1 एवं 2.2 वर्ष 2023-24 के दौरान प्रतिशतता के रूप में "प्राप्ति कहाँ से आयी" तथा "कहाँ व्यय हुआ" का विवरण प्रदान करते हैं।

तालिका-2.2: 2022-23 और 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
स्रोत	प्रारम्भिक नकद शेष	3,837.19	2,318.65	(-)39.57
	राजस्व प्राप्तियाँ	49,082.70	50,615.01	3.12
	विविध पूंजीगत प्राप्ति	11.83	0.00	(-)100.00
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	17.30	15.82	-8.55
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	956.30	5,801.96	506.71
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	384.04	1,563.48	307.11
	आकस्मिकता निधि (निवल)	90.16	-130.31	(-)244.53
	योग	54,379.52	60,184.61	10.68
उपयोग	राजस्व व्यय	43,772.73	47,273.96	8.00
	पूंजीगत व्यय	8,194.51	10,981.80	34.01
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	93.63	124.09	32.53
	आर बी आई के साथ अंतिम नकद शेष	2,318.65	1,804.76	(-)22.16
	योग	54,379.52	60,184.61	10.68

स्रोत: वित्त लेखे।



स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका-2.2 (क): संसाधनों के संघटन की वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

घटक	2022-23	2023-24	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
कर राजस्व	17,102	19,245	12.53
करेत्तर राजस्व	4,367	4,418	1.17
केंद्रीय कर हस्तांतरण	10,617	12,628	18.94
सहायता अनुदान	16,997	14,324	(-)15.73
विविध पूंजीगत राजस्व	12	00	(-)100.00
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	17	16	(-)5.88
लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,036	9,912	96.82

स्रोत: वित्त लेखे।

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्य का अंशदान एवं भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

2. **पूंजीगत प्राप्तियों (ऋण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ)** में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से ऋण) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।


3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमाओं, उचंत, प्रेषणों, आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ और संवितरण शामिल हैं, जो की समेकित निधि का भाग नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के पश्चात शेष धनराशि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन चार्ट-2.3 में दिया गया है।

चार्ट 2.3: 2023-24 के दौरान राज्य में प्राप्तियों का संघटन



वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के कुल संसाधनों ₹ 61,996 करोड़ में से, राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 50,615 करोड़) 81.64 प्रतिशत, पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ 9,928 करोड़) 16.02 प्रतिशत और निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 1,453 करोड़) 2.34 प्रतिशत थीं।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि

तालिका-2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2019-24 के दौरान, स रा घ उ से संबन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों का संघटन क्रमशः चार्ट-2.4 एवं 2.5 में दिया गया है।


तालिका-2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) (₹ करोड़ में)	30,723	38,205	43,057	49,083	50,615
बजट अनुमान (ब अ) (₹ करोड़ में)	38,995	42,439	44,151	51,474	57,057
रा प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)1.58	24.35	12.70	14.00	3.12
राज्य का स्वयं का राजस्व (₹ करोड़ में)	15,512	16,109	16,932	21,469	23,663
(i) स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	11,513	11,938	14,176	17,102	19,245
(ii) करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	3,999	4,171	2,756	4,367	4,418
भारत सरकार से सहायता अनुदान	8,309	15,527	16,219	16,997	14,324
संघ करों और शुल्कों में राज्य का अंशदान (₹ करोड़ में)	6,902	6,569	9,906	10,617	12,628


मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.09	3.85	5.11	26.80	10.22
जी आई ए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.81	86.87	4.46	4.80	(-)15.73
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,39,263	2,25,617	2,67,143	3,03,781	3,46,206
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.88	(-)5.70	18.41	13.71	13.97
रा प्रा /ब अ (प्रतिशत)	78.87	90.02	97.52	95.35	88.71
रा प्रा /स रा घ उ (प्रतिशत)	12.84	16.93	16.12	16.16	14.62
उत्प्लावकता अनुपात ¹					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	लागू नहीं	लागू नहीं	0.69	1.02	0.22
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	0.02	लागू नहीं ²	0.28	1.95	0.73

स्रोत: वित्त लेखे, स रा घ उ के आँकड़े आर्थिक प्रभाग, नि. एवं महा ले प के रा वि ले प्र संकलन से प्राप्त किए गए हैं।

चार्ट-2.4: स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



चार्ट-2.5: राजस्व प्राप्तियों के संघटकों की प्रवृत्तियाँ



¹ उत्प्लावकता आधारभूत परिवर्ती आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्ती आँकड़ों की जवाबदेही के स्तर को इंगित करता है।

² लागू नहीं नकारात्मक वृद्धि के कारण नकारात्मक आंकड़ों को दर्शाता है।

- राजस्व प्राप्तियां 10.52 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि से 2019-20 में 64.75 प्रतिशत बढ़कर ₹ 30,723 करोड़ से 2023-24 में ₹ 50,615 करोड़ हो गयीं। 2023-24 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,532 करोड़ (3.12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, यह वृद्धि संघ के करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 2,011 करोड़), स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,143 करोड़) तथा राज्य के करेत्तर राजस्व (₹ 51 करोड़) में वृद्धि एवं सहायता अनुदान (₹2,673 करोड़) में कमी के कारण हुई। बजट अनुमान की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां 2019-20 में 78.87 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 88.71 प्रतिशत हो गई। हालांकि, विगत वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान इसमें आंशिक रूप से 6.64 प्रतिशत की कमी आई।
- दूसरी तरफ, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में 72.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, 2022-23 की तुलना में इसमें ₹ 2,673 करोड़ (15.73 प्रतिशत) की कमी आई।
- 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 46.75 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान ने मिलकर 53.25 प्रतिशत का अंशदान दिया। इस प्रकार, उत्तराखण्ड की राजकोषीय स्थिति काफी हद तक केंद्रीय कर हस्तांतरण तथा सहायता अनुदान पर निर्भर है।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 3.12 प्रतिशत (₹ 1,532 करोड़) की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ, राजस्व व्यय में 8.00 प्रतिशत (₹ 3,501 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में कमी आई। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य के स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता में व्यापक उतार-चढ़ाव था। स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2019-20 एवं 2020-21 में ऋणात्मक थी, जो 2021-22 में धनात्मक हो गयी और 2023-24 तक धनात्मक रही, जबकि स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं की राजस्व उत्प्लावकता अनुपात 2019-20 में 0.02 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 0.73 प्रतिशत हो गया।
- स्थायी राजकोषीय स्थिरता और विकास के लिए राजस्व स्रोतों में विविधता लाना तथा स्थानीय कर आधार को मजबूत करना आवश्यक है।

2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का अंशदान, वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित किया जाता है; सहायता अनुदान में राज्य का अंशदान, एकत्र किए गए केंद्रीय करों की मात्रा एवं योजनाओं के लिए प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता आदि द्वारा निर्धारित किया जाता


है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके स्वयं के संसाधनों जिनमें स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व सम्मिलित हैं, के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2019-24 के दौरान, कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संबंध में सकल संग्रहण एवं इनके सापेक्ष राज्य के स रा घ उ में अंशदान **परिशिष्ट-2.1** में प्रदर्शित है।

2.3.3.1 स्वयं का कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जी एस टी, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, निबंधन शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व तथा माल एवं यात्रियों पर कर इत्यादि शामिल हैं। राज्य की पंच-वर्षीय अवधि 2019-24 के दौरान स्वयं के कर राजस्व एवं स रा घ उ में इसके प्रतिशतता के आँकड़े नीचे **चार्ट-2.6** में दिये गये हैं।

चार्ट-2.6: वर्ष 2019-24 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि



वर्ष 2019-24 के दौरान संग्रहित किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण **तालिका-2.4** में है।

तालिका-2.4: वर्ष 2019-24 के दौरान घटक-वार स्वयं का कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	प्रवृत्तियाँ
1. विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	1,811	1,858	2,302	2,555	2,519	
2. राज्य वस्तु एवं सेवा कर	4,931	5,053	5,973	7,341	8,297	
3. राज्य आबकारी	2,727	2,966	3,258	3,526	4,041	
4. वाहनों पर कर	908	741	889	1,211	1,390	
5. निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क	1,072	1,107	1,488	1,987	2,432	
6. भू-राजस्व	24	17	40	65	14	
7. अन्य कर	40	196	226	417	552	
योग	11,513	11,938	14,176	17,102	19,245	
राज्य के स्वयं के राजस्व में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	74.22	74.11	83.72	79.66	81.33	
कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	37.47	31.25	32.92	34.84	38.02	


स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में, 10.01 प्रतिशत औसत वार्षिक दर के साथ, 2019-20 में ₹ 11,513 करोड़ से 2023-24 में ₹ 19,245 करोड़ तक ₹ 7,732 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, कर राजस्व में मुख्य अंशदाता राज्य वस्तु एवं सेवा कर (43.11 प्रतिशत), राज्य आबकारी (21.00 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (13.09 प्रतिशत) और निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (12.64 प्रतिशत) थे। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्वयं के कर राजस्व में ₹ 2,143 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 956 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 515 करोड़), निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 445 करोड़) और वाहनों पर कर (₹ 179 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। विगत पाँच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता भी 37.47 से बढ़कर 38.02 प्रतिशत हो गई।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)

2005 में मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू होने के 12 वर्ष पश्चात, केंद्र सरकार ने 01 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) लागू किया। उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) अधिनियम, 2017 राज्य विधानसभा द्वारा मई 2017 में पारित हुआ और 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ।

चार्ट-2.7: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान एस जी एस टी के अंतर्गत तुलनात्मक प्राप्तियाँ



जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है कि एस जी एस टी के संग्रहण में 11.86 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर ₹ 3,366 करोड़ (68.26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और यह

वर्ष 2019-20 में ₹ 4,931 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 8,297 करोड़³ हो गया। विगत वर्ष 2022-23 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इसमें ₹ 956 करोड़ (13.02 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.3.3.3 राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली का सूचक है। इसी प्रकार, निर्धारण का बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो निर्धारण में विलंब के कारण अवरुद्ध रहता है। दोनों ही, राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

राजस्व का बकाया

31 मार्च 2024 को विभिन्न राजस्व शीर्षों के अंतर्गत राजस्व बकाया ₹ 9,515.46 करोड़ था, जिसमें से ₹ 3,713.26 करोड़ (39.02 प्रतिशत) विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जैसा कि तालिका-2.5 में नीचे दिखाया गया है।

तालिका-2.5: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष ⁴	31 मार्च तक बकाया कुल धनराशि (₹ करोड़ में)					31 मार्च तक पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित धनराशि (₹ करोड़ में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर	10,205.69	11,821.59	11,457.98	8,061.87	7,669.96	3,227.82	3,968.17	4,495.01	3,592.19	3,577.00
वाणिज्यिक कर/ वस्तु एवं सेवा कर	उ न	उ न	उ न	उ न	1,570.71	उ न	उ न	उ न	उ न	0.00
राज्य आबकारी	67.51	उ न	160.47	उ न	उ न	67.29	उ न	114.16	उ न	उ न
पुलिस (अन्य सेवायें)	उ न	उ न	उ न	उ न	1.73	उ न	उ न	उ न	उ न	0.12
जल प्रभार	उ न	उ न	उ न	उ न	273.07	उ न	उ न	उ न	उ न	136.14
योग	10,273.20	11,821.59	11,618.45	8,061.87	9,515.47	3,295.11	3,968.17	4,609.17	3,592.19	3,713.26

स्रोत: वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, पुलिस विभाग एवं जल संस्थान उत्तराखण्ड सरकार। उ न: उपलब्ध नहीं।

कुल राजस्व बकाया वर्ष 2019-20 में ₹ 10,273.20 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 9,515.47 करोड़ हो गयी है, जबकि 2019-24 के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। यद्यपि चालू वर्ष में इसमें गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,453.60 करोड़ (18.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राजस्व की

³ वर्ष 2023-24 के दौरान आरबीआई के आंकड़ों और राज्य जीएसटी के वित्त लेखों में दर्ज आंकड़ों के बीच कोई अंतर नहीं था।

⁴ वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, पुलिस एवं जल संस्थान विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर।

धनराशि में भी उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी है और 2019-20 की तुलना में इसमें ₹ 418.15 करोड़ की वृद्धि हुई है तथा चालू वर्ष 2023-24 में इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 121.07 करोड़ (3.37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। अतः राज्य सरकार को राजस्व की वसूली के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे।

इस संबंध में, सरकार ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान कहा कि मामला पहले से ही विचाराधीन है और राजस्व की शीघ्र वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया कि राजस्व के बकाया की निगरानी के लिए एक वेब एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है।

निर्धारण में बकाया

राज्य कर विभाग द्वारा सूचित, वर्ष के प्रारम्भ में लंबित प्रकरण, निर्धारण हेतु लम्बित प्रकरण, वर्ष के दौरान निपटाए गए प्रकरण और वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिये जाने हेतु लंबित प्रकरणों से संबन्धित पूर्ण विवरण तालिका-2.6 में दिया गया है।

तालिका-2.6: निर्धारण में बकाया

राजस्व शीर्ष	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (मामलों की संख्या)	वर्ष के दौरान निर्धारण के लिए लम्बित नये मामले	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता
मूल्य वर्धित कर	2019-20	60,504	1,28,105	1,88,609	73,885	1,14,724	39
	2020-21	1,14,724	33,426	1,48,150	79,304	68,846	54
	2021-22	68,846	11,825	80,671	79,781	890	99
	2022-23	890	9,106	9,996	8,677	1,319	87
	2023-24	1,319	2,289	3,608	2,449	1,159	68
वस्तु एवं सेवा कर	2019-20	लागू नहीं					
	2020-21	लागू नहीं					
	2021-22	0	4,175	4,175	3,564	611	85
	2022-23	611	12,457	13,068	5,524	7,544	42
	2023-24	7,544	21,751	29,295	22,950	6,345	78

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, मूल्य वर्धित कर और वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत निपटान हेतु शेष मामले 2019-24 के दौरान काफी कम हो गए हैं। मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत निपटान की प्रतिशतता विगत वर्ष की तुलना में 87 प्रतिशत से घटकर 68 प्रतिशत हो गई, जबकि वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत विगत वर्ष में 42 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हो गई।

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी, वापसी आदि के प्रकरण

कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी के प्रकरणों, अंतिम रूप दिये गए प्रकरणों और अतिरिक्त करों की माँग किए गए प्रकरण राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण

के प्रयत्नों के महत्वपूर्ण सूचक हैं। कर वापसी के प्रकरणों का त्वरित निपटान, विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वापसी प्रकरणों का अधिक मात्रा में लंबित रहना लाल फीताशाही, निहित स्वार्थ, और रिश्वत खोरी के प्रचलन आदि का सूचक है। राज्य कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी के प्रकरणों का विवरण तालिका-2.7 में दिया गया है।

तालिका-2.7: कर चोरी का पता लगना

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक लंबित मामले	2023-24 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूरी हुई और जुर्माना आदि के साथ अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2024 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	माँग की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	
मूल्य वर्धित कर	0	18	18	9	4.64	9
वस्तु एवं सेवा कर	141	33	174	153	160.06	21
जल प्रभार	01	01	02	-	-	02

स्रोत: वाणिज्यिक कर एवं जल संस्थान विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

कर वापसी के प्रकरण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत कर वापसी के प्रकरणों का विवरण तालिका-2.8 में दिया है।

तालिका-2.8: 31 मार्च 2024 तक कर वापसी के प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	जी एस टी		वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया के प्रकरण	81	13.39	530	7.41
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,382	1,278.92	643	29.46
3.	वर्ष के दौरान की गई कर वापसी	1,267	1,183.13	676	28.49
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकार कर वापसी	97	44.26	40	3.43
5.	वर्ष के अंत में अदत्त शेष	99	64.92	457	4.95

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है जी एस टी के अंतर्गत 1,382 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 1,183.13 करोड़ कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 1,364 प्रकरणों (वर्ष के दौरान खारिज 97 प्रकरणों सहित) का निपटारा किया गया जबकि, वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत 643 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 28.49 करोड़ का कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 716 प्रकरणों का निपटारा (वर्ष के दौरान खारिज 40 प्रकरणों सहित) किया गया।

2.3.3.4 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज की प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान एकत्रित करेत्तर राजस्व का घटक-वार विवरण तालिका-2.9 में दिया गया है।

तालिका-2.9: 2019-20 से 2023-24 के दौरान घटक-वार करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शेष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	प्रवृत्तियाँ
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	396.75	506.41	575.01	472.13	645.84	
वानिकी एवं वन्य जीव	410.16	512.27	511.55	474.93	551.53	
व्याज प्राप्तियाँ	47.81	98.52	403.55	759.04	125.77	
शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति	198.83	259.59	268.57	227.19	246.90	
शहरी विकास	35.57	15.08	190.98	30.99	7.27	
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	183.84	168.75	177.85	188.50	207.16	
विद्युत	0.30	70.35	111.23	72.46	205.64	
पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ के लिए योगदान एवं वसूली	2,492.90	2,109.78	61.57	1,711.37	1,662.02	
लाभांश एवं लाभ	14.08	41.02	35.05	25.07	25.20	
अन्य	218.57	388.80	420.60	404.87	740.75	
योग	3,998.81	4,170.57	2,755.96	4,366.55	4,418.08	
राज्य के स्वयं के राजस्व से करेत्तर राजस्व की प्रतिशतता	25.78	25.89	16.28	20.34	18.67	
कुल राजस्व प्राप्तियों से करेत्तर राजस्व की प्रतिशतता	13.02	10.92	6.40	8.90	8.73	


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

पाँच वर्ष की अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान, करेत्तर राजस्व, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 06 से 13 प्रतिशत तक रहा।

2.3.4 केन्द्रीय अंतरण

केन्द्रीय अंतरण मुख्य रूप से (i) संघ करों और शुल्कों की निवल आय में अंश और (ii) सहायता अनुदान से गठित होता है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्र प्रायोजित योजना और केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजना के लिए अनुदान अब राज्य बजट के माध्यम से दिए जा रहे हैं। केन्द्रीय अन्तरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर हैं। विगत 10 वर्षों में केन्द्रीय अन्तरण की प्रवृत्ति नीचे दिए गए चार्ट-2.8 में दी गई है।

चार्ट-2.8: विगत दस वर्षों में केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति



2.3.4.1 केन्द्रीय कर अंतरण

चौदहवें वित्त आयोग ने अनुसंशा की थी कि वर्ष 2015-16 से केन्द्रीय करों में राज्यांशों में 42 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाए। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय करों की निवल आय में (सेवा कर के अतिरिक्त) उत्तराखण्ड का अंश 1.052 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। हालांकि, पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अंश बढ़ाकर वर्ष 2020-21 के लिए 1.104 प्रतिशत तथा वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए 1.118 प्रतिशत कर दिया गया था। वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक हस्तांतरण को तालिका-2.10 में दिया है।

तालिका-2.10: केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंशदान : वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग के प्रतिवेदन में अनुमान	वास्तविक कर हस्तांतरण	अन्तर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2013-14	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.120 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.138 प्रतिशत (तेरहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार)	3,727.00	3,573.38	(-) 153.62
2014-15	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार)	4,396.00	3,792.30	(-) 603.70
2015-16		6,112.00	5,333.19	(-) 778.81
2016-17		7,053.00	6,411.55	(-) 641.45
2017-18		8,150.00	7,084.91	(-) 1,065.09
2018-19		9,429.00	8,011.59	(-) 1,417.41
2019-20		10,921.00	6,901.54	(-) 4,019.46

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग के प्रतिवेदन में अनुमान	वास्तविक कर हस्तांतरण	अन्तर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.104 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंधानों के अनुसार)	9,441.00	6,568.72	(-) 2,872.28
2021-22	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का	7,363.05	9,906.25	2,543.20
2022-23	1.118 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की 2021-	8,190.78	10,617.01	2,426.23
2023-24	26 के प्रतिवेदन की अनुसंधानों के अनुसार)	9,216.62 ⁵	12,627.75	3,411.13

स्रोत: XV वित्त आयोग एवं वित्त लेखे।

राज्य को वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण का विवरण तालिका-2.11 में दिया गया है।

तालिका-2.11: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
निगम कर	2,353.14	1,981.20	2,985.75	3,559.58	3,790.28
सीमा शुल्क	437.46	349.64	676.32	417.39	442.54
आय कर	1,843.85	2,031.05	2,938.64	3,474.95	4,377.28
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	4.37	4.69	9.47	17.47	15.48
सेवा कर	0.00	28.21	127.78	16.62	2.34
संपदा कर	0.10	0.00	0.62	0.00	0.00
संघ उत्पाद शुल्क	304.15	220.89	337.81	130.97	167.46
आय एवं व्यय पर अन्य कर	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
सी जी एस टी	1,958.47	1953.04	2,829.84	3,000.03	3,832.37
कुल केन्द्रीय करों का अंतरण	6,901.54	6,568.72	9,906.25	10,617.01	12,627.75
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता	(-)13.86	(-)4.82	50.81	7.17	18.94
राजस्व प्राप्त से केन्द्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	22.46	17.19	23.01	21.63	24.95

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

पाँच वर्ष की अवधि (2019-20 से 2023-24) के दौरान, केन्द्रीय करों के अंतरण में 2019-20 में ₹ 6,902 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 12,628 करोड़ तक 82.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान इसमें ₹ 2,011 करोड़ (18.94 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 231 करोड़), आय कर (₹ 902 करोड़) और सी जी एस टी (₹ 832 करोड़) अधिक प्राप्त होने के कारण हुई है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय कर अंतरण राजस्व प्राप्तियों का 24.95 प्रतिशत था। आगे, जैसा कि तालिका-2.10 में वर्णित है, राज्य ने वर्ष 2013-14 से 2020-21 की अवधि के दौरान

⁵ राज्यों को कर हस्तांतरण ₹ 8,24,385*1.118% = ₹ 9,216.62 करोड़।

वित्त आयोगों के प्रतिवेदनों (XIII, XIV एवं XV) में अनुमानों के अनुसार केंद्रीय करों एवं शुल्कों का अपना अंश प्राप्त नहीं किया था। हालांकि, वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान, केंद्रीय करों में अंश, पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान से क्रमशः ₹ 2,543 करोड़, ₹ 2,426 करोड़ एवं ₹ 3,411 करोड़ बढ़ गया था।

2.3.4.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (जी आई ए) तालिका-2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.12: भारत सरकार से सहायता अनुदान

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	4,477	6,166	5,219	5,969	5,676
2 वित्त आयोग अनुदान	975	6,865	9,424	8,501	8,050
3 राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	2,857	2,496	1,576	2,527	598
कुल (1+2+3)	8,309	15,527	16,219	16,997	14,324
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	8	87	4	5	-16
राजस्व प्राप्ति से जी आई ए की प्रतिशतता	27	41	38	35	28

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

2019-20 से 2023-24 तक भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 6,015 करोड़ (72.39 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान इसमें ₹ 2,673 करोड़ (15.73 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान सहायता अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 28 प्रतिशत था। 2023-24 के दौरान, राज्य को वित्त आयोग अनुदान (₹ 8,050 करोड़) प्रदान किया गया जिसमें राजस्व घाटा अनुदान (₹ 6,223 करोड़), स्थानीय निकायों के लिए अनुदान (₹ 696 करोड़), राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ) (₹ 826 करोड़) और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (₹ 305 करोड़) शामिल हैं। यह वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 56.20 प्रतिशत था। राज्य को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिया गया अनुदान (₹ 5,676 करोड़) वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 39.63 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान, राज्य द्वारा प्राप्त अन्य अनुदान मुख्य रूप से जी एस टी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति (₹ 477 करोड़) के सम्बन्ध में थे।

2.3.4.3 एकल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी एफ एम एस / एफ सी डी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सी एस एस) के अन्तर्गत

धनराशि जारी करने और एस एन ए के माध्यम से जारी धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए, एस एन ए की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के खाते के साथ की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय अंश को संबंधित राज्य के अंश के साथ संबंधित एस एन ए खाते में स्थानांतरित करना है।

वर्ष 2023-24 के लिए पी एफ़ एम एस पोर्टल के प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर लेखापरीक्षा द्वारा निम्न पाया गया:

- (i) 2023-24 के दौरान भारत सरकार से केंद्रीय हिस्से के रूप में प्राप्त ₹ 4,509.85 करोड़ के विरुद्ध, राज्य सरकार ने ₹ 4,907.20 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा, ₹ 1,400.43 करोड़ का राज्य हिस्सा और ₹ 258.57 करोड़ अवर्गीकृत राशि और टॉप-अप के रूप में एस एन ए के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया।
- (ii) बत्तीस केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य ने अपने आनुपातिक राज्य के अंशदान से ₹ 667.17 करोड़ अधिक धनराशि जारी की, जबकि 18 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य ने अपने आनुपातिक राज्य हिस्से से ₹ 12.17 करोड़ कम धनराशि जारी की।
- (iii) वर्ष 2023-24 के दौरान 134 राज्य से जुड़ी योजनाओं के अंतर्गत एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 2,773.16 करोड़ की अप्रयुक्त राशि उपलब्ध थी।

महालेखाकार (ले एवं हक) कार्यालय को वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर एवं सहायक दस्तावेज एस एन ए से प्राप्त नहीं हुए थे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि राज्य द्वारा एसएनए स्पर्श विकसित किया जा रहा था, जिसके माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल से महालेखाकार को अंतिम उपयोग के ई-वाउचर उपलब्ध कराए जाएंगे।

2.3.4.4 पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान

जैसा कि पूर्व प्रस्तर में इंगित किया गया है पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकाय तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु प्रदान किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य को प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका-2.13 में दिया गया है।

तालिका-2.13: पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंधान के अनुसार भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया गया सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण	2023-24 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंधान	2023-24 के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त
1. स्थानीय निकाय	674	696
(अ) पी आर आई को अनुदान	445	472
(ब) यू एल बी को अनुदान	229	224
2. राजस्व घाटा अनुदान	6,223	6,223
3. आपदा प्रतिक्रिया निधि (केंद्र का अंशदान)	1,033	1,131
4. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	158	0.00
कुल योग	8,088	8,050

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग एवं वित्त लेख।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य को शहरी स्थानीय निकायों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से कम अनुदान प्राप्त हुआ। हालांकि, राजस्व घाटा अनुदान में राज्य को वित्त आयोग का पूरा हिस्सा प्राप्त हुआ। राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹ 158 करोड़ का अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी।

2.3.4.5 राजस्व व्यय के रूप में दर्ज राजस्व की वापसी

मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के प्रस्तर 2.2 के अनुसार, 'ए. कर राजस्व' के अर्न्तगत वास्तविक राजस्व आंकड़ों का पता लगाने के लिए 'राजस्व की वापसी' को राजस्व प्राप्तियों में कमी के रूप में लिया जाएगा। वर्ष के दौरान ₹ 15.98 करोड़ की वापसी को राजस्व प्राप्ति शीर्षों के स्थान पर संबंधित राजस्व व्यय मुख्य शीर्षों (2040, 2853 और 3055) के अंतर्गत दर्ज किया गया।

राजस्व वापसी के इस अनुचित लेखांकन के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ राजस्व व्यय को भी उस सीमा तक अधिक दिखाया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और कहा कि भविष्य में सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

2.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से कर्ज की प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/व्यापारिक बैंकों से उधारियाँ) एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। तालिका-2.14 में निवल पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटन की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका-2.14: निवल पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य के पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1. पूंजीगत प्राप्तियाँ (कुल)	6,167	9,810	7,490	5,065	9,928
1.1 विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.20	0.00	12.00	0.00
1.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	19	23	17	17	16
1.3 लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,148	9,787	7,473	5,036	9,912
आंतरिक ऋण	6,078	6,728	3,787	3,817	7,862
वृद्धि दर	(-) 15.23	10.69	(-) 43.71	0.79	105.97
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	70	3,059	3,686	1,219	2,050
वृद्धि दर	(-) 33.33	4,270.00	20.50	(-) 66.93	68.17
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 15.49	59.19	(-) 23.64	(-)32.61	96.82
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 29.63	22.11	(-) 26.72	70.59	(-) 44.83
स रा घ उ की वृद्धि दर	3.88	(-)5.70	18.41	13.71	13.97
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 15.54	59.08	(-) 23.65	(-)32.38	96.01
कुल प्राप्तियों से पूंजीगत प्राप्तियों की प्रतिशतता	16.72	20.43	14.82	9.35	16.40

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

पूंजीगत प्राप्तियाँ 2019-20 में ₹ 6,167 करोड़ से ₹ 3,761 करोड़ (60.99 प्रतिशत) बढ़कर 2023-24 में ₹ 9,928 करोड़ हो गई। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 4,863 करोड़ (96.01 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 4,876 करोड़) में वृद्धि है।

लोक ऋणों की प्राप्तियां भविष्य के पुनर्भुगतान दायित्वों का निर्माण करती हैं और ये बाजार, वित्तीय संस्थाओं एवं भारत सरकार से प्राप्त किए जाते हैं। पंच-वर्षीय अवधि 2019-24 के दौरान, लिए गए लोक ऋणों की प्राप्तियों ₹ 38,356 करोड़ में से ₹ 16,314 करोड़ (42.53 प्रतिशत) का उपयोग लोक ऋणों के पुनर्भुगतान में किया गया तथा शेष 57.47 प्रतिशत का उपयोग अन्य उद्देश्यों पर किया गया।

2.5 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत सम्मिलित हैं, के संदर्भ में किया जाता है। 2023-24 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के संबंध में पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान, बजट अनुमान एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ों को तालिका-2.15 में दिया गया है।

तालिका-2.15: राज्य के स्वयं के संसाधन : अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के स्वयं के संसाधन	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक से प्रतिशतता भिन्नता		
					पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	15,346	19,983	19,620	19,245	25.41	-3.69	-1.91
करेत्तर राजस्व	4,362	4,762	4,175	4,418	1.28	-7.22	5.82

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, बजट प्रलेख एवं वित्त लेख।

जैसा कि तालिका- 2.15 से स्पष्ट है, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान के सापेक्ष ₹ 3,899 करोड़ अधिक रहा, जबकि यह बजट अनुमानों और एम टी एफ पी एस के सापेक्ष क्रमशः ₹ 738 करोड़ एवं ₹ 375 करोड़ कम रहा। इस प्रकार, राज्य बजट और एम टी एफ पी एस में अनुमानित कर राजस्व के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ था।

वर्ष 2023-24 के दौरान करेत्तर राजस्व (एन टी आर) पंद्रहवें वित्त आयोग एवं एम टी एफ पी एस के अनुमानों की तुलना में क्रमशः ₹ 56 करोड़ और ₹ 243 करोड़ अधिक था। हालांकि यह बजट अनुमानों के सापेक्ष ₹ 344 करोड़ कम था।

2.6 संसाधनों का उपयोग

राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान ढांचे के अंतर्गत राज्य सरकार को व्यय करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य का सतत् राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूंजीगत अवसरचना और सामाजिक क्षेत्र की विकास की दिशा में उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो।

राजस्व व्यय: वह सभी व्यय जो रख-रखाव, मरम्मत, संधारण एवं कार्यदायी व्यय जो परिसम्पत्ति को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक हों और दूसरे सभी व्यय जो किसी संगठन को दैनिक रूप से कार्य करने में आवश्यक हों, जिनमें स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय सम्मिलित हैं, राजस्व व्यय में वर्गीकृत होते हैं।

पूंजीगत व्यय: वह सभी व्यय जो किसी परियोजना के प्रथम निर्माण पर और साथ ही साथ कार्य के मध्यवर्ती रख-रखाव पर होने वाले व्यय जिसे सेवा के लिए खोलागू नहीं गया हो और वह व्यय भी जो कार्य के परिवर्धन एवं सुधार के लिए हों तथा जिन्हें नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता हो, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण एवं अग्रिम: सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) और अन्य पक्षों को ऋण एवं अग्रिम।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल व्यय, इसका संघटन और स रा घ उ में इसका अंश तालिका-2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.16: कुल व्यय और इसका संघटन

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	38,399	43,667	46,810	52,061	58,380
राजस्व व्यय	32,859	37,091	38,929	43,773	47,274
पूँजीगत व्यय	5,414	6,538	7,534	8,194	10,982
ऋण एवं अग्रिम	126	38	347	94	124
स रा घ उ से प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/स रा घ उ	16.05	19.35	17.52	17.14	16.86
राजस्व व्यय/स रा घ उ	13.73	16.44	14.57	14.41	13.65
पूँजीगत व्यय/स रा घ उ	2.26	2.90	2.82	2.70	3.17
ऋण एवं अग्रिम/स रा घ उ	0.05	0.02	0.13	0.03	0.04

स्रोत: वित्त लेखे।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2019-20 में ₹ 38,399 करोड़ से 52 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 58,380 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान यह गत वर्ष की तुलना में 12.14 प्रतिशत बढ़ा। स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में, कुल व्यय में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई और यह वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 16 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के बीच रहा।


चार्ट-2.9 कुल व्यय में घटकों के अंश की प्रवृत्ति को दर्शाता है जबकि चार्ट-2.10 वर्ष 2023-24 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण के संघटन को दर्शाता है।

चार्ट-2.9: कुल व्यय: इनके घटकों के अंश की प्रवृत्तियाँ (प्रतिशत में)



चार्ट-2.10: 2023-24 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण का संघटन

(प्रतिशत में)



गतिविधियों के अनुसार, ब्याज के भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा अन्य पर हुआ व्यय कुल व्यय में शामिल है। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय ₹ 58,380 करोड़ (परिशिष्ट-2.1 से संदर्भित) में इन घटकों का संबन्धित अंश तालिका-2.17 में दर्शाया गया है।


तालिका-2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का संबन्धित अंश

(प्रतिशत में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएँ	37.00	35.68	35.79	35.53	34.15
सामाजिक सेवाएँ	36.99	38.24	38.10	38.74	39.65
आर्थिक सेवाएँ	21.54	21.65	22.82	21.81	21.81
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम)	4.47	4.43	3.29	3.92	4.38

चार्ट-2.11, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए कुल व्यय में क्षेत्रवार घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट-2.11: कुल व्यय: गतिविधि के अनुसार व्यय



व्यय के उपर्युक्त घटकों से संबन्धित अंश इंगित करते हैं कि वर्ष 2023-24 के दौरान गत वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं के अंश में आंशिक कमी हुई थी। हालाँकि, सामाजिक सेवाओं तथा अन्य से संबन्धित अंशों में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि हुई।

2.6.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी में अंशदान नहीं देता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय, कुल व्यय का औसतन 84 प्रतिशत (81 प्रतिशत से 86 प्रतिशत के मध्य) रहा। पाँच वर्ष की अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से इसके अनुपात तथा स रा घ उ और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष उत्प्लावकता तालिका-2.18 में दर्शायी गई हैं। राजस्व व्यय की प्रवृत्ति और स रा घ उ से इसकी प्रतिशतता चार्ट-2.12 में दर्शायी गई है, जबकि चार्ट-2.13 में 2023-24 से संबन्धित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण दर्शाया गया है।

तालिका-2.18: राजस्व व्यय - आधार मापदंड


(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	38,399	43,667	46,810	52,061	58,380
राजस्व व्यय	32,859	37,091	38,929	43,773	47,274
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.06	12.88	4.96	12.44	8.00
राजस्व व्यय कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में	85.57	84.94	83.16	84.08	80.98
राजस्व व्यय / स रा घ उ (प्रतिशत)	13.73	16.44	14.57	14.41	13.65
राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में	106.95	97.09	90.41	89.18	93.40
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता ⁶ के साथ					
स रा घ उ (अनुपात)	0.53	(-)2.26	0.27	0.91	0.57
राजस्व प्राप्ति ⁶ (अनुपात)	(-)1.30	0.53	0.39	0.89	2.56

स्रोत: वित्त लेखे।


⁶ उत्प्लावकता, आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया की मात्रा को इंगित करता है।

चार्ट-2.12: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट-2.13: वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)



वर्ष 2023-24 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में अपेक्षा स रा घ उ से राजस्व व्यय की प्रतिशतता कम थी। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 3,501 करोड़ (8.00 प्रतिशत) की उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी देखी गई। राजस्व व्यय, मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) में दिये गए आकलन (₹ 51,585 करोड़) के सापेक्ष ₹ 4,311 करोड़ कम था।

2.6.1.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

तालिका-2.19, गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय से संबन्धित विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विचलन (₹ 30 करोड़ और 30 प्रतिशत से अधिक) का विवरण दर्शाती है। धनात्मक विचलन के साथ कुछ मुख्य शीर्ष (i) लोक सेवा आयोग (ii) कोषागार और लेखा प्रशासन, (iii) खेल और युवा सेवाएं,

(iv) जलापूर्ति और स्वच्छता, (v) शहरी विकास, (vi) सूचना और प्रचार, (vii) श्रम, रोजगार और कौशल विकास, (viii) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, (ix) मत्स्य पालन, (x) ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, (xi) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम और (xii) सड़कें और पुल जबकि ग्रामीण रोजगार के अर्न्तगत राजस्व व्यय में ऋणात्मक विचलन देखा गया।

आगे, जांच के दौरान पाया गया कि वेतन, कार्यालय व्यय, मानदेय, मजदूरी, विज्ञापन और प्रचार इत्यादि जैसे नियमित प्रकृति के लेन-देन के लिए आकस्मिकता निधि से ₹ 111.30 करोड़ का राजस्व व्यय किया गया जो कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 के प्रावधानों के विरुद्ध था। यह राज्य सरकार द्वारा खराब बजटिंग को दर्शाता है क्योंकि बजट की तैयारी के प्रारम्भिक चरण में स्थापना व्यय की नियमित प्रकृति का पूर्वानुमान और बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

तालिका-2.19: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष		व्यय		विचलन (प्रतिशतता)	
		2022-23	2023-24	धनराशि में	प्रतिशत में
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,581.44	2,109.40	527.96	33.38
3054	सड़क और पुल	419.11	886.56	467.45	111.53
2245	प्राकृतिक आपदाओं हेतु सहायता	1,049.96	1,369.55	319.59	30.44
2215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	608.75	812.74	203.99	33.51
2217	शहरी विकास	302.77	417.67	114.90	37.95
2220	सूचना एवं प्रसार	167.85	260.17	92.32	55.00
2230	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	178.68	264.75	86.07	48.17
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	59.51	117.41	57.90	97.29
2051	लोक सेवा आयोग	59.97	103.63	43.66	72.80
2204	खेल और युवा सेवाएं	100.63	142.63	42.00	41.74
2054	राजकोष और लेखा प्रशासन	89.92	130.42	40.50	45.04
2405	मत्स्यपालन	21.38	52.92	31.54	147.52
2505	ग्रामीण रोजगार	530.41	215.75	-314.66	-59.32

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2.6.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, ब्याज भुगतान एवं पेंशन सम्मिलित हैं। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार को कम विकल्प देती है। राज्य का एफ आर बी एम अधिनियम निर्धारित करता है कि राजस्व अधिशेष

होना चाहिए, इसको प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा अंश वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान एवं पेंशन जैसी प्रतिबद्ध मदों में चला जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें आम तौर पर काटा या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या जो पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेन-देन के विपरीत वार्षिक आधार पर सांविधिक रूप से आवश्यक है। निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- (i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण - वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को सांविधिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण/अंतरण)।
- (ii) आरक्षित निधि में अंशदान की सांविधिक आवश्यकताएं - समेकित सिंकिंग फंड (सी एस एफ), प्रतिभूति मोचन निधि (जी आर एफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि (एस डी एम एफ / एस डी आर एफ), आदि में अंशदान।
- (iii) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति - वर्ष के भीतर प्रतिपूर्ति की गई धनराशि।
- (iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में स्थानांतरित करना, जो सांविधिक रूप से आवश्यक है।
- (v) प्राप्त केंद्रीय निधि के सापेक्ष सी एस एस का अंशदान - राज्य अंशदान की राशि एस एन ए को हस्तांतरित किया जाना/ राज्य द्वारा व्यय किया जाना।
- (vi) ब्याज युक्त निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारित व्यय के रूप में- ब्याज भुगतान।

प्रतिबद्ध व्यय में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन रह जाता है। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय और उसके घटकों का रुझान विश्लेषण तालिका-2.20 में दर्शाया गया है और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश चार्ट-2.14 में दिखाया गया है।

तालिका-2.20, 2019-20 से 2023-24 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है। कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का अंश चार्ट-2.14 के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका-2.20: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रतिबद्ध व्यय के घटक					
वेतन एवं मजदूरी	11,714	11,755	12,417	13,515	14,341
ब्याज भुगतान	4,504	4,773	4,939	5,104	5,192
पेंशन पर व्यय	5,507	6,168	6,364	7,181	7,597
योग	21,725	22,696	23,720	25,800	27,130
राजस्व प्राप्तियों (रा प्रा) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	38.13	30.77	28.84	27.53	28.33
ब्याज भुगतान	14.66	12.49	11.47	10.40	10.26
पेंशन पर व्यय	17.92	16.14	14.78	14.63	15.01
योग	70.71	59.41	55.09	52.56	53.60
राजस्व व्यय (रा व्य) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	35.65	31.69	31.90	30.88	30.34
ब्याज भुगतान	13.71	12.87	12.69	11.66	10.98
पेंशन पर व्यय	16.76	16.63	16.35	16.41	16.07
योग	66.12	61.19	60.93	58.94	57.39
गैर-प्रतिबद्ध रा व्य	11,134	14,395	15,209	17,973	20,144
रा व्य में गैर-प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	33.88	38.81	39.07	41.06	42.61
कु व्य में गैर-प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	29.00	32.97	32.49	34.52	34.50
सब्सिडी	35	139	145	289	428
गैर-प्रतिबद्ध व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	0.31	0.97	0.95	1.61	2.12
अनम्य व्यय के घटक					
स्थानीय निकायों को संविधिक हस्तांतरण	1,717	1,932	1,390	1,492	1,795
आरक्षित निधियों में अंशदान	150	150	210	110	110
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	94	02	436	269	179
उपकर का आरक्षित निधि/ अन्य निकाय में हस्तांतरण	00	70	72	72	80
प्राप्त केंद्रीय निधि के सापेक्ष सीएसएस का अंश अंशदान	उ न	548	1,047	728	1,581
ब्याज वहन करने वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उनका निवेश किया जा सकता था और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारत व्यय के रूप में - ब्याज भुगतान**	43	156	156	(-) 122	05
योग	2,004	2,858	3,311	2,549	3,750
रा प्रा के प्रतिशतता के रूप में अनम्य व्यय	6.52	7.48	7.69	5.19	7.41
रा व्य के प्रतिशतता के रूप में अनम्य व्यय	6.10	7.71	8.51	5.82	7.93


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

**केवल ब्याज युक्त निधि की देयता प्रदान की गयी है। सार्वजनिक ऋण ब्याज देयता (यदि कोई देय) उपलब्ध नहीं है।

तालिका-2.20 दर्शाती है कि राजस्व व्यय के सापेक्ष गैर-प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत 2019-20 में 33.88 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 42.61 प्रतिशत हो गया, जिसमें सब्सिडी का अनुपात 0.31 प्रतिशत से 2.12 प्रतिशत तक था।

चार्ट-2.14: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध एवं गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंश

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे।

राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय में 2019-20 में 66.12 प्रतिशत से 2023-24 में 57.39 प्रतिशत तक कमी आई। इस प्रकार से विकास और रखरखाव कार्यों हेतु ज्यादा निधियाँ उपलब्ध थीं। इसी तरह, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय 2019-20 में 70.71 प्रतिशत से 2023-24 में 53.60 प्रतिशत तक कमी आई। आगे, राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में गैर-प्रतिबद्ध व्यय 2019-20 में 33.88 प्रतिशत से चालू वर्ष में 42.61 प्रतिशत तक बढ़ गया।

2.6.2.1 अन्य प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में अन्य प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत दिव्यांगों, बच्चों, महिलाओं और वृद्ध कमजोर एवं निराश्रितों के कल्याण के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन पर व्यय भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, उपयोगिता बिलों के भुगतान पर व्यय जिसमें कि बिजली पर खर्च, जल प्रभार और दूरभाष प्रभार सम्मिलित है, भी अन्य प्रतिबद्ध व्यय हैं। निम्न तालिका-2.21 पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2023-24 तक अन्य प्रतिबद्ध व्यय को दर्शाती है।

तालिका-2.21: अन्य प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

अन्य प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,607.08	1,671.37	1,814.44	2,615.42	2,810.84
उपयोगिता बिलों का भुगतान	271.84	290.58	344.87	460.81	482.46
योग	1,878.92	1,961.95	2,159.31	3,076.23	3,293.30

राजस्व प्राप्ति (रा प्रा) की प्रतिशतता के रूप में					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5.23	4.37	4.21	5.33	5.55
उपयोगिता बिलों का भुगतान	0.88	0.76	0.80	0.94	0.95
योग	6.11	5.13	5.01	6.27	6.50
राजस्व व्यय (रा व्य) की प्रतिशतता के रूप में					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4.89	4.51	4.66	5.97	5.95
उपयोगिता बिलों का भुगतान	0.83	0.78	0.89	1.05	1.02
योग	5.72	5.29	5.55	7.03	6.97


जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान अन्य प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में पाँच प्रतिशत से सात प्रतिशत के मध्य रहा।

2.6.2.2 वेतन एवं मजदूरी

गत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष में राजस्व व्यय में वेतन का अंश कम था। गत वर्ष में थोड़े बदलाव (0.54 प्रतिशत) के साथ वर्ष 2023-24 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राजस्व व्यय का 30.34 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। पाँच वर्ष की अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान, यह 2019-20 में ₹ 11,714 करोड़ से ₹ 2,627 करोड़ (22.43 प्रतिशत) बढ़ कर 2023-24 में ₹ 14,341 करोड़ हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 14,341 करोड़) एम टी एफ पी एस में अनुमानित ₹ 17,830 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,489 करोड़ कम था। राज्य सरकार ने वेतन व्यय के अतिरिक्त, व्यावसायिक तथा विशिष्ट सेवाओं पर ₹ 192.48 करोड़ व्यय किये तथा ₹ 1,352.41 करोड़ वेतन एवं भत्तों तथा अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान के रूप में दिये।

2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान, कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन की राशि की तुलना चार्ट-2.15 में दी गई है।

चार्ट-2.15: कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की गई वेतन की धनराशि की तुलना



स्रोत: उत्तराखण्ड बजट का खण्ड VI और वित्त लेखे।

अवधि 2021-24 के दौरान राज्य में कर्मचारियों की संख्या में कमी की प्रवृत्ति देखी गयी। कर्मचारियों की संख्या 2019-20 में 1,97,783 से 28,847 (14.59 प्रतिशत) घटकर 2023-24 में 1,68,936 हो गई, जबकि वेतन व्यय संबंधित वर्षों के लिए ₹ 2,627 करोड़ (22.43 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 11,714 करोड़ से ₹ 14,341 करोड़ हो गया।

2.6.2.3 ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान 2022-23 में ₹ 5,104 करोड़ से ₹ 88 करोड़ (1.72 प्रतिशत) बढ़कर 2023-24 में ₹ 5,192 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान में ₹ 26 करोड़ की वृद्धि, आरक्षित निधि पर ब्याज में ₹ 97 करोड़ की वृद्धि है, जिसे अन्य दायित्वों पर ब्याज में ₹ 40 करोड़ की कमी से संतुलित किया गया। चालू वर्ष के दौरान, आंतरिक ऋण (₹ 4,154 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 662 करोड़), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (₹ 76 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 97 करोड़) और अन्य दायित्वों पर (₹ 204 करोड़) ब्याज भुगतान किया गया। चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबन्धित सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज के रूप में ₹ 39.07 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

सभी डी डी ओ द्वारा प्रत्येक अभिदाता के खाते में वास्तविक ब्याज जमा किए जाने के अभाव में महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी के सामान्य भविष्य निधि लेखों पर ब्याज की गणना काल्पनिक रूप से की जा रही है।

ब्याज भुगतान को राज्य सरकार के बजट एवं एम टी एफ पी एस में अनुमानों के संदर्भ में तालिका-2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.22: राज्य के अनुमानों के सापेक्ष ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक	राज्य सरकार द्वारा किया गया आकलन			
		बजट		एम टी एफ पी एस	
		अनुमान	विचलन (प्रतिशत)	अनुमान	विचलन (प्रतिशत)
2023-24	5,192	6,161	969 (15.73)	6,059	867 (14.31)

स्रोत: बजट दस्तावेज़ एवं वित्त लेखे।

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान बजट और एम टी एफ पी एस में किए गए अपने अनुमानों से काफी कम था।

2.6.2.4 पेंशन

2023-24 में पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 7,597 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 15.01 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा यह 5.79 प्रतिशत

(₹ 416 करोड़) बढ़ा तथा राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में किए गए अनुमान (₹ 7,602 करोड़) से ₹ 5 करोड़ कम था, हालांकि यह एम टी एफ पी एस में किए गए अनुमान (₹ 7,421 करोड़) से ₹ 176 करोड़ अधिक था। वर्ष के दौरान, राज्य सहायतित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों की पेंशन (₹ 1,310.37 करोड़) में ₹ 136.44 करोड़ की वृद्धि हुई, सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 2,353.45 करोड़) में ₹ 169.39 करोड़ की वृद्धि हुई, पारिवारिक पेंशन (₹ 1,422.42 करोड़) में ₹ 88.83 करोड़ की वृद्धि हुई और परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान (₹ 899.45 करोड़) में 2022-23 की तुलना में ₹ 77.31 करोड़ की वृद्धि हुई। इस वृद्धि को छुट्टी नकदीकरण लाभ (₹ 324.47 करोड़) में ₹ 5.98 करोड़, ग्रेच्युटी (₹ 713.64 करोड़) में ₹ 25.00 करोड़ तथा पेंशन के परिवर्तित मूल्य (₹ 558.30 करोड़) में ₹ 22.62 करोड़ की कमी करके संतुलित किया गया।

वेतन की तुलना में पेंशन भुगतान में 2019-20 में 47.01 प्रतिशत से 2023-24 में 52.97 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। हालांकि यह 2022-23 में 53.13 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर 2023-24 में 52.97 प्रतिशत हो गया जैसाकि तालिका-2.23 में दिया गया है।

तालिका-2.23: वेतन की प्रतिशतता के रूप में पेंशन भुगतान

घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पेंशन भुगतान (₹ करोड़ में)	5,507	6,168	6,364	7,181	7,597
वेतन पर भुगतान (₹ करोड़ में)	11,714	11,755	12,417	13,515	14,341
वेतन के सापेक्ष पेंशन का प्रतिशत	47.01	52.47	51.25	53.13	52.97

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत देयताएं

1 अक्टूबर 2005 को या इसके बाद नियुक्त किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन पी एस) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है तथा सरकार कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत का अंशदान करती है। राज्य सरकार का दायित्व है कि वह एन पी एस के दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारी एवं सरकार दोनों का अंश नामित प्राधिकरण, राष्ट्रीय सिक्क्योरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एन एस डी एल)/ट्रस्टी बैंक के पास आगामी निवेश के लिए जमा करे।

वर्ष के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में कुल अंशदान ₹ 1,560.03 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 660.58 करोड़ और सरकार का अंशदान ₹ 899.45 करोड़) था। सरकार द्वारा 1,580.03 करोड़ (ब्याज भुगतान ₹ 20 करोड़ सहित) को

मुख्य शीर्ष-8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत लोक लेखे में हस्तांतरित किया गया। एन पी एस में सरकार का अंशदान ₹ 25.36 करोड़ कम था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य को अधिक दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटा इस सीमा तक कम दर्शाया गया था।

वर्ष के दौरान, एन एस डी एल/ट्रस्टी बैंक को ₹ 1,548.95 करोड़ हस्तांतरित किये गए। हालाँकि, 2023-24 के अंत में ₹ 98.09 करोड़ की राशि अभी भी हस्तांतरित नहीं हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक नकद शेष को अधिक दिखाया गया। योजना के अंतर्गत वसूली नहीं की गई, बेमेल और अहस्तांतरित राशियां, अर्जित ब्याज सहित, सरकार की बकाया देयताओं को दर्शाती हैं।

2.6.2.5 सब्सिडी

विगत वर्ष के सापेक्ष, वर्ष 2023-24 के दौरान सब्सिडी पर हुए व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी जैसाकि तालिका-2.24 में दिये गए विवरण में देखा जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी में, वर्ष 2021-22 को छोड़कर, जिसमें इसमें मामूली कमी देखी गई थी, 2019-20 में 0.11 प्रतिशत से 2023-24 में 0.85 प्रतिशत तक तीव्र वृद्धि हुई। आगे, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2019-20 में 0.11 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 0.91 प्रतिशत हो गई। आगे, सब्सिडी पर व्यय 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 139 करोड़ (48.10 प्रतिशत) बढ़ गया।

तालिका-2.24: 2019-24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	35	139	145	289	428
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	0.11	0.36	0.34	0.59	0.85
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	0.11	0.37	0.37	0.66	0.91

2023-24 के दौरान, जिन प्रमुख योजनाओं में सब्सिडी पर व्यय किया गया था वे थी दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता कृषक कल्याण योजना (₹ 81 करोड़), खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी (₹ 104 करोड़), मेगा टेक्सटाइल नीति (₹ 15 करोड़), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (₹ 60 करोड़), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासों के लिए अनुदान (₹ 75 करोड़), दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना (₹ 15 करोड़), गरीब परिवारों को कुकिंग गैस के लिए अनुदान (₹ 27 करोड़), सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम (₹ 18 करोड़) और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (₹ 10 करोड़)। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान अपने बजट अनुमानों में ₹ 493 करोड़ की सब्सिडी का अनुमान लगाया था।

2.6.2.6 अंतर्निहित सब्सिडी

अंतर्निहित सब्सिडी तब उत्पन्न होती है जब सरकार सामाजिक और आर्थिक वस्तुओं/सेवाओं को सरकार द्वारा वहन की गई वस्तुओं और सेवाओं की लागत से कम कीमत पर प्रदान करती है। यह अप्रत्यक्ष रूप में या वस्तु रूप में या रियायत के रूप में दी जा सकती है। 2019-24 के दौरान सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई अंतर्निहित सब्सिडी तालिका-2.25 में दी गई है।

तालिका-2.25: 2019-24 के दौरान अंतर्निहित सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

अंतर्निहित सब्सिडी	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
फसल बीमा	3.99	1.89	2.16	3.24	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता	45.19	123.90	85.70	79.93	76.54
योग	49.18	125.79	87.86	83.17	76.54

उपर्युक्त तालिका-2.25 दर्शाती है कि राज्य सरकार द्वारा 2019-20 से 2022-23 के दौरान फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत फसल बीमा योजना के लिए ₹ 11.28 करोड़ की धनराशि भी अंतर्निहित सब्सिडी के रूप में दी गयी और सड़क परिवहन के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को मुआवजे के रूप में सहायता और यू टी सी द्वारा वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पर्वतीय मार्गों में बस संचालन के कारण हुए नुकसान के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति और मुफ्त यात्रा सुविधा के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए ₹ 411.26 करोड़ की सहायता प्रदान की है।

2.6.2.7 अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटकों, जिनमें स्थानीय निकायों को अन्य सांविधिक हस्तांतरण और आरक्षित निधियों में अंशदान शामिल हैं, में वर्ष 2021-22 के अलावा 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि देखी गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 2019-24 के दौरान छः प्रतिशत से नौ प्रतिशत की सीमा में रहा। इसके अतिरिक्त, अनम्य व्यय (₹ 3,750 करोड़) गत वर्ष 2023-24 (₹ 2,549 करोड़) की तुलना में 47.12 प्रतिशत बढ़ा।

2.6.2.8 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान एवं ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदानों के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता को तालिका-2.26 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-2.26: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय)	573.62	1,531.82	901.68	1,079.12	1,156.09
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	902.05	976.91	734.27	1,044.05	1,308.34
3.	जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थान	814.62	955.29	655.97	996.62	1,249.06
4.	विकास एजेंसियाँ	494.84	539.27	483.71	523.97	712.04
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	353.03	552.66	630.04	1,068.47	118.40
6.	ऊर्जा (ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत)	13.30	9.17	13.81	11.07	18.83
7.	कृषि अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान, भू-अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए भूमि सुधार और वन्य जीवन संरक्षण	585.49	915.03	902.30	947.26	657.20
8.	सहकारी समितियाँ	1.55	15.18	14.26	16.85	3.61
9.	पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन	51.17	55.77	70.97	76.63	85.72
10.	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ और पर्यटन	47.27	56.38	64.19	98.14	140.30
11.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	238.66	250.85	178.48	433.53	448.89
12.	अन्य संस्थान	724.60	582.44	1,208.77	1,335.60	1,102.22
योग		4,800.18	6,440.77	5,858.45	7,631.31	7,000.70
राजस्व व्यय से प्रतिशतता के अनुसार सहायता		14.61	17.36	15.05	17.43	14.81
वेतन हेतु सहायता अनुदान (मानक मद-05)		1,071.71	1,179.53	1,181.65	1,391.96	1,352.41
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (मानक मद-55)		383.01	(-431.63) ⁷	706.10	450.47	538.99
गैर वेतन सहायता अनुदान (मानक मद-56)		3,129.89	3,409.34	3,312.13	4,747.80	3,314.36
सहायता अनुदान का समनुदेशन (मानक मद-69)		...	1,932.20	1,390.23	1,491.55	1,794.94
वस्तु के रूप में दिया गया अनुदान		सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी				

स्रोत: वित्त लेख तथा महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड का वी एन सी डाटा।

चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा प्रदान की गई सहायता में ₹ 630.61 करोड़ की कमी हुई। चालू वर्ष के दौरान, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता कुल वित्तीय सहायता की 36.53 प्रतिशत लेखांकित की गई।

मई 2016 में चौथे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 11 प्रतिशत धनराशि हस्तांतरण करने की सिफारिश की थी। 2019-20 से 2023-24 के दौरान हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि और वास्तविक हस्तांतरित धनराशि तालिका-2.27 में दी गई है।

⁷ ऋणात्मक आँकड़ा लोक लेखा में हस्तांतरित एस डी आर एफ पर व्यय को दर्शाता है।

तालिका-2.27: हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि की तुलना में स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य के स्वयं के कर राजस्व (रा स्व क रा)	11,513	11,938	14,176	17,103	19,245
हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि (2016-17 से आगे राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 11 प्रतिशत)	1,266.43	1,313.18	1,559.36	1,881.33	2,116.95
स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि	1,716.67	1,932.2	1,390.24	1,491.55	2,557.39
स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तांतरित धनराशि रा स्व क रा की प्रतिशतता के रूप में	14.91	16.19	9.81	8.72	13.29

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड का वी एन सी डाटा और राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ।


उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2021-22 के अलावा वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तांतरण निरंतर रूप से बढ़ा। 2023-24 के दौरान वास्तविक हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धनराशि से अधिक था।

2.6.3 पूंजीगत व्यय


पूंजीगत व्यय प्रमुख रूप से स्थायी बुनियादी ढाँचागत सम्पत्तियों जैसे सड़क, भवन आदि के निर्माण पर होने वाला व्यय है।

कुल पूंजीगत व्यय 2019-20 में ₹ 5,414 करोड़ से 2023-24 में ₹ 10,982 करोड़ तक बढ़ा है। चालू वर्ष में यह ₹ 2,788 करोड़ (34.02 प्रतिशत) तक बढ़ा। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों में किए गए अनुमान (₹ 10,403 करोड़) से ₹ 579 करोड़ अधिक था, जबकि बजट में किए गए अनुमान (₹ 13,134) से ₹ 2,152 करोड़ कम था। चार्ट-2.16 में पाँच वर्ष की अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान, बजट के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का विवरण दिया गया है और चार्ट-2.17 में स रा घ उ और कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति दी गई है।

चार्ट-2.16: 2019-20 से 2023-24 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट-2.17: पूंजीगत व्यय की स रा घ उ तथा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रवृत्ति



2.6.3.1 पूंजीगत व्यय में बड़े परिवर्तन

तालिका-2.28 में गत वर्ष के सापेक्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय में विभिन्न लेखाशीर्षों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि अथवा कमी (₹ 30 करोड़ और 30 प्रतिशत से अधिक) वाले प्रकरणों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, 2019-24 के दौरान इन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्ति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका-2.28: 2019-24 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	प्रवृत्तियाँ
4059 लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	339.32	733.66	1,050.30	1,554.94	2,296.86	
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	97.60	172.94	313.19	299.37	807.71	
4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	133.20	147.59	100.90	151.49	568.59	
4215 जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	638.64	648.18	1,059.87	550.20	918.46	
4408 खाद्य भंडारण तथा भंडारागार पर पूंजीगत परिव्यय	569.19	71.29	493.97	285.32	628.94	
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	200.67	132.28	118.59	136.90	351.26	
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	469.43	574.95	385.89	511.90	717.94	
4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय	16.25	42.09	73.79	66.37	263.85	
4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	39.90	6.77	5.73	43.57	167.73	
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	31.52	43.96	41.92	53.56	163.99	
4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	12.48	2.33	2.6	27.02	134.47	
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	28.25	94.80	60.02	57.00	95.05	
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	105.75	82.10	97.51	178.28	120.53	
4515 आँय ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	1,270.19	2,000.43	1,706.32	1,917.54	1,257.36	

मुख्य शीर्ष जिसमें विगत वर्ष के सापेक्ष सारभूत वृद्धि/कमी चिन्हित हुई वे थे लोक निर्माण, खाद्य भंडारण और गोदाम, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम।

2.6.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

अगर राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश जारी रखती है, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वहाँ निवेश पर प्रतिलाभ की संभावना बहुत कम होती है। पूर्व के अनुभव से पता चलता है कि घाटे में चल रहे निगमों तथा सेक्टरों में खराब प्रदर्शन कर रहे अन्य निकायों जैसे चीनी मिल, वित्त निगम आदि को दिये गए ऋणों को अनिवार्यतः बट्टे खाते में डालना पड़ता है। ऐसे वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे। इस खण्ड में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

(i) कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

ऐसी कंपनियों (जैसे ऊर्जा वितरण कंपनियाँ), निगमों (जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त निगम), एवं सहकारिता (जैसे चीनी मिल) जो घाटे में चल रही हैं और जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, में किये गए निवेश तथा उनको दिये गए ऋण टिकाऊ नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित शेयर पूँजी में निवेश पर प्रतिलाभ और विभिन्न निकायों को प्रदान किए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

2023-24 के वित्त लेखों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में 31 मार्च 2024 तक एक संविधिक निगम तथा 16 सरकारी कंपनियों में ₹ 4,527.50 करोड़ का निवेश किया था। 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने इन निवेशों से ₹ 25.20 करोड़ प्रतिलाभ अर्जित किया। तालिका-2.29 में 2019-20 से 2023-24 तक पाँच वर्ष की अवधि में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश का वर्ष-वार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-2.29: निवेश और निवेश पर प्रतिलाभ का विवरण

(₹ करोड़ में)

निवेश /प्रतिलाभ/ उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के अंत तक निवेश	3,534.95	3,683.54	3,818.94	4,043.90	4,527.50
निवेश पर प्रतिलाभ	14.08	40.02	35.05	25.07	25.20
निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.40	1.09	0.92	0.62	0.56
सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.26	6.83	6.55	6.56	6.32
औसत ब्याज दर और प्रतिलाभ (प्रतिशत) के बीच अंतर	(-)6.86	(-)5.74	(-)5.63	(-)5.94	(-)5.76
सरकारी उधारों की ब्याज दर और निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण परिकल्पित नुकसान	242.50	211.44	215.01	240.21	260.78

उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत रिटर्न नगण्य रहा और 2019-20 से 2023-24 के दौरान निवेश (ऐतिहासिक लागत पर) का 0.40 से 1.09 प्रतिशत रहा। यह पिछले वर्ष के 0.62 प्रतिशत से घटकर इस वर्ष 0.56 प्रतिशत रह गया। हालांकि, सरकार ने 2019-20 से 2023-24 के दौरान अपने उधार पर 6.70 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों से सहमति व्यक्त की और निवेश पर प्रतिलाभ बढ़ाने के प्रयासों पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया।

(ii) शेष राशि का समाधान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) के अभिलेखों के अनुसार, बकाया इक्विटी, ऋण तथा प्रतिभूतियों के संबंध में आँकड़े उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के आँकड़ों के साथ मेल खाने चाहिए। यदि इन आँकड़ों में कोई भिन्नता होती है तो, संबन्धित रा सा क्षे उ तथा वित्त विभाग को भिन्नता का समाधान करना चाहिए। तालिका-2.30 में दिनांक 31 मार्च 2024 को इक्विटी, ऋण तथा प्रतिभूति के आँकड़ों में भिन्नता प्रदर्शित की गयी है।

तालिका-2.30: वित्त लेखों के सापेक्ष रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण तथा प्रतिभूति के बकायों के आँकड़े

(₹ करोड़ में)

के सापेक्ष बकाया	वित्त लेखों के अनुसार	रा सा क्षे उ के आँकड़ों के अनुसार	अंतर
क	ख	ग	(ख-ग)
इक्विटी	4,527.50	4,176.67	350.83
ऋण	831.99	1,401.44	(-)569.45
प्रतिभूति	117.88	185.00	(-)67.12

स्रोत: रा सा क्षे उ और वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

आँकड़ों में अन्तर पिछले कई वर्षों से बना हुआ है। यह अन्तर मुख्य रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त वाउचरों के आधार पर सरकारी लेखों में निवेश की प्रविष्टियों तथा अलग-अलग साक्षे उ से प्राप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिये गए विवरणों के कारण उत्पन्न हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कहा कि शेष राशि का मिलान किया जाएगा।

(iii) राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों के बीच गलत वर्गीकरण

वर्ष 2023-24 के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने गलत तरीके से पूंजीगत खंड के बजाय राजस्व खंड के अन्तर्गत ₹ 0.70 करोड़ (वृहद कार्य) और ₹ 61.96 करोड़ (भूमि खरीद) का व्यय दर्ज किया और ₹ 605.82 करोड़ (सहायता अनुदान) का व्यय राजस्व खंड के बजाय पूंजीगत खंड के अन्तर्गत दर्ज किया, जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है। इसके कारण राजस्व अधिशेष को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और उस सीमा तक राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और कहा कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

(iv) पाँच वर्षों के दौरान ऋणों के वितरण एवं वसूली की मात्रा

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार ने बहुत सी संस्थाओं/ संगठनों को भी ऋण प्रदान किए थे। तालिका-2.31, 31 मार्च 2024 को पाँच वर्षों 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के लंबित ऋणों एवं अग्रिमों के साथ ब्याज की प्राप्ति की तुलना में व्याज भुगतान को प्रस्तुत करता है।

तालिका-2.31: 2019-24 के दौरान संवितरित ऋणों की मात्रा एवं वसूलियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋण का प्रारम्भिक शेष	1,926.54	2,033.40	2,047.91	2,378.28	2,454.61
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम धनराशि	125.78	37.56	347.45	93.63	124.10
वर्ष के दौरान वसूली गई धनराशि	18.92	23.05	17.08	17.30	15.82
लंबित ऋण का अन्त शेष	2,033.40	2,047.91	2,378.28	2,454.61	2,562.89
शुद्ध वृद्धि	106.86	14.51	330.37	76.33	108.28
प्राप्त ब्याज	25.65	58.78	359.22	34.72 ⁸	65.90
लंबित ऋण और अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	1.33	2.89	17.54	1.46	2.68

⁸ इसमें मुख्य शीर्ष-6003-111 (एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां) से संबंधित ₹ 660.16 करोड़ की धनराशि शामिल नहीं है जिसे 2017-18 और 2018-19 के दौरान अनजाने में मुख्य शीर्ष-2049 के तहत बुक/डेबिट किया गया था। 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष-0049-800 क्रेडिट करके इसे एक टीई के माध्यम से ठीक किया गया था।

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सरकारी उधार पर दिये गए औसत ब्याज की दर (प्रतिशत)	7.26	6.83	6.55	6.56	6.32
ब्याज भुगतान और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-)5.93	(-)3.94	10.99	(-)5.10	(-)3.64

31 मार्च 2024 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों की कुल धनराशि ₹ 2,562.89 करोड़ थी। चालू वर्ष के दौरान ऋणों के संवितरण की धनराशि 2022-23 में ₹ 93.63 करोड़ से 32.54 प्रतिशत बढ़कर कर 2023-24 में ₹ 124.10 करोड़ हो गई। आर्थिक सेवाओं में प्रमुख प्राप्तकर्ता ऊर्जा क्षेत्र ₹ 112.00 करोड़ तत्पश्चात कृषि क्षेत्र ₹ 8.00 करोड़ था। कुल बकाया ऋणों की जांच से पता चला कि पिछले पांच वर्षों (मार्च 2024 तक) में चार क्षेत्रों अर्थात् सामान्य सेवाएं (अन्य ऋण), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास और शहरी विकास और परिवहन क्षेत्र द्वारा कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया था जिसका विवरण तालिका 2.32 में दिया गया है। एक क्षेत्र (परिवहन) में, कोई पुनर्भुगतान न होने के बावजूद अतिरिक्त ऋण (₹ 2.87 करोड़) दिया गया, जबकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों में मामूली पुनर्भुगतान के बावजूद अतिरिक्त ऋण (₹ 8.00 करोड़) दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में कुल बकाया राशि में वृद्धि हुई है।

तालिका-2.32: लंबे समय के लिए बढ़ाए गए ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09
3.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1,119.57	1,117.47	1,116.47	1,188.91	1,195.88
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	503.16	503.16	503.16	503.16	503.16
5.	परिवहन	153.80	158.09	215.47	233.23	236.10
योग		1,838.09	1,840.28	1,896.66	1,986.86	1,996.70

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ₹ 728.52 करोड़ की धनराशि का अग्रिम दिया गया जबकि ₹ 92.17 करोड़ की धनराशि की वसूली की गई। वर्ष के प्रारम्भ में बकाया धनराशि तथा वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई धनराशि के सापेक्ष वसूली, प्रत्येक वर्ष कम हो कर वर्ष 2019-20 में 0.92 प्रतिशत से 2023-24 में 0.61 प्रतिशत हो गयी। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतान की गयी राशि ₹ 15.82 करोड़ थी जो 31 मार्च 2023 तक बकाया ऋण (₹ 2,454.61 करोड़) का 0.64 प्रतिशत थी।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों से सहमति व्यक्त की और कहा कि पुराने/विरासत ऋण शेष की समीक्षा की जाएगी और कुल बकाया ऋणों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(v) अपूर्ण/जारी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्ति का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता की ओर संकेत करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा राज्य को अपेक्षित लाभ से लंबे समय तक वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त, संबन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार ली गयी निधियाँ, ऋण और ब्याज की देयता के रूप में अतिरिक्त बोझ का कारण बनती हैं।

वर्ष 2023-24 के राज्य वित्त लेखे के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में 154 (135+19) अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं। 31 मार्च 2024 को इन परियोजनाओं के स्वीकृति वर्ष/कार्य प्रारम्भ होने के वर्ष के आधार पर अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा तालिका-2.33 में दी गयी है।

तालिका-2.33: 31 मार्च 2024 तक अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	वित्तीय स्थिति (प्रतिशत में)
2018-19 तक स्वीकृत	42	248.48	199.60	80.33
2019-20	08	51.32	47.17	91.91
2020-21	12	122.82	98.26	80.00
2021-22	31	288.39	197.44	68.46
2022-23	13	81.28	42.35	52.10
2023-24	42	116.80	50.63	43.35
स्वीकृति/प्रारम्भ तिथि ज्ञात नहीं	06	12.74	6.08	47.72
योग	154	921.83	641.53	69.59

स्रोत: वित्त लेखे।

बिना किसी विलम्ब के इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लागत वृद्धि से बचा जा सके।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों से सहमति व्यक्त की और कहा कि अधूरी परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

(vii) सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य के संसाधनों की उपलब्धता सार्वजनिक निजी सहभागिता सरकार या सांविधिक इकाई और एक निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है, जो कि बुनियादी विकास हेतु लोगों की माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु एक संरचना प्रदान करती है। निम्न तालिका-2.34 में राज्य में चल रही परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका-2.34: पी पी पी परियोजनाओं का क्षेत्रवार/विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		चल रही है	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	परिवहन	3	71.42	3	63.76
2.	ऊर्जा	0	0	2	117.50
3.	शहरी	6	721.73	5	364.55
4.	पर्यटन	3	25.00	2	201.81
5.	स्वास्थ्य	6	84.40	0	0
6.	कृषि	0	0	1	380.00
योग		18	902.55	13	1,127.62

स्रोत: उत्तराखण्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल डैशबोर्ड (<http://www.upppc.org/projects/projects/>)

2.7 व्यय की प्राथमिकताएँ

मानवीय विकास स्तर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना व्यय बढ़ाये। किसी क्षेत्र विशेष के साथ निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (किसी श्रेणी के अंतर्गत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात) संलग्न होती है यदि आबंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम हो। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना उच्चतर हो व्यय की गुणवत्ता को उतना अच्छा समझा जाता है।

तालिका-2.35 में 2019-20 को आधार वर्ष मानते हुए, 2023-24 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राथमिकता का उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों से विकास व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है।

तालिका-2.35: वर्ष 2019-20 और 2023-24 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु व्य/ स रा घ उ	सा क्षे व्य/ कु व्य	आ क्षे व्य/ कु व्य	वि व्य/ कु व्य	पूँ व्य/ कु व्य	शिक्षा/ कु व्य	स्वास्थ्य एवं प.क./कु व्य
2019-20 में औसत (अनुपात)							
उ पू एवं हिमालयी	26.21	35.50	28.72	64.22	14.94	17.08	6.37
उत्तराखण्ड	16.05	36.99	21.21	58.20	14.10	20.16	5.47
2023-24 में औसत (अनुपात)							
उ पू एवं हिमालयी	25.19	37.02	25.52	62.54	17.61	15.93	6.43
उत्तराखण्ड	16.86	39.65	21.60	61.25	18.81	17.19	7.87
कु व्य: कुल व्यय; वि व्य: विकास व्यय; सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र व्यय; आ क्षे व्य: आर्थिक क्षेत्र व्यय; पूँ व्य: पूंजीगत व्यय।							

स्रोत: एन एस ओ, एम ओ एस पी आई, आदि के आंकड़ों पर आधारित एस एफ ए आर संकलन।

2023-24 में उत्तराखण्ड राज्य के औसत व्यय का 2019-20 के साथ तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- स रा घ उ के अनुपात में राज्य सरकार का कुल व्यय 2019-20 की तुलना में 2023-24 में मामूली रूप से 0.81 प्रतिशत अंक बढ़ा।
- 2019-20 की तुलना में 2023-24 में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र का व्यय 2.66 प्रतिशत अंक अधिक था।
- 2019-20 की तुलना में 2023-24 में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र का व्यय 0.39 प्रतिशत अंक अधिक था।
- 2019-20 की तुलना में, 2023-24 में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय, पूंजीगत व्यय, और स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय क्रमशः 3.05, 4.71 एवं 2.40 प्रतिशत अंक बढ़ा।
- कुल व्यय में शिक्षा व्यय का अनुपात 2019-20 की तुलना में 2023-24 में 2.97 प्रतिशत अंक कम हुआ।


इसके अतिरिक्त, 2019-20 के साथ 2023-24 में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के औसत और उत्तराखण्ड के औसत के तुलनात्मक अध्ययन ने निम्नलिखित दर्शाया:

- राज्य में स रा घ उ के अनुपात में कुल व्यय दोनों वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के औसत से काफी कम रहा।
- दोनों वर्षों के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
- राज्य में कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय दोनों वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था।
- राज्य में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र व्यय उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के व्यय की तुलना में दोनों वर्षों के दौरान कम था।
- राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व्यय को प्राथमिकता दी गयी थी तथा दोनों वर्षों में कुल व्यय से शिक्षा व्यय का अनुपात उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था।
- 2019-20 में कुल व्यय के अनुपात में स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यय उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के औसत से कम था, हालाँकि, इसमें बहुत सुधार हुआ और यह 2023-24 में 1.44 प्रतिशत अंक अधिक था।

वस्तु शीर्ष वार व्यय

वस्तु शीर्ष वार व्यय, व्यय के लक्ष्य/उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण चार्ट-2.18 में दिया गया है।

चार्ट-2.18: वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण



स्रोत: वित्त लेखे।

2.8 लोक लेखा

कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमाओं, उचन्तों, प्रेषणों इत्यादि जो संचित निधि का भाग नहीं होते हैं, से संबन्धित प्राप्तियों एवं संवितरण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है तथा ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं है। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान सरकार के पास वितरण के बाद शेष निधि विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है।

2.8.1 लोक लेखा में निवल बकाया

राज्य के लोक लेखे में वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान घटक वार निवल बकाया को नीचे तालिका-2.36 में दिया गया है।

तालिका-2.36: प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च को लोक लेखे में घटक-वार निवल बकाया

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आई.	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	665.79	431.46	333.88	122.95	217.65
जे. आरक्षित निधि	ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	2,759.12	89.90	(-)467.57	58.04	803.43
	ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	149.48	150.00	210	113.59	110.06
	आरक्षित निधियों से निवेश	(-)150.00	(-)150.00	(-)210	(-)110	(-)110
	योग	2,758.60	89.90	(-)467.57	61.63	803.49
के. जमा एवं अग्रिम	ब्याज सहित जमा	(-)2.77	3.57	(-)7.36	(-)12.79	51.62
	ब्याज रहित जमा	504.35	378.43	(-)673.73	357.25	531.05
	अग्रिम	00	00	00	00	00
	योग	501.58	382.00	(-) 681.09	344.46	582.67

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
एल. उचंत एवं विविध	उचंत	(-)124.82	(-)103.72	285.28	13.22	(-)167.59
	अन्य लेखे	(-)1,039.63	(-)490.83	(-)7.46	(-)285.41	19.76
	विदेशी सरकारों के साथ लेखे	0.04	00	00	00	00
	विविध	00	00	00	00	00
	योग	(-)1,164.41	(-)594.55	277.82	(-)272.19	(-)147.83
एम. प्रेषण	मनी आर्डर, और अन्य प्रेषण	(-)4.38	0.00	(-)0.04	(-)0.32	0.09
	अंतर-सरकारी समायोजन लेखे	3.76	(-)6.41	12.33	17.54	(-)2.58
	योग	(-)0.62	(-)6.41	12.29	17.22	(-)2.49
महायोग		2,760.94	302.40	(-)524.67	274.07	1,453.49


नोट- (-) डेबिट बकाया दर्शाता है और (+) क्रेडिट बकाया दर्शाता है।

*एल उचंत और विविध के अंतर्गत अन्य लेखे में विभागीय शेष, स्थायी नकद अग्रदाय और नकद शेष निवेश लेखे को छोड़कर अन्य खाते।

वर्ष 2019-24 की पाँच वर्ष की अवधि में लोक लेखा में शेष निधि के संघटन में वार्षिक परिवर्तन चार्ट-2.19 में दिया गया है।

चार्ट-2.19: लोक लेखा शेष निधि के संघटन में वर्षवार परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



जैसा तालिका-2.36 में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक शुद्ध लोक लेखा शेष में लगातार कमी आई है, जबकि 2022-23 से इसमें वृद्धि हुई है। इसमें 2022-23 में ₹ 274.07 करोड़ से 2023-24 में ₹ 1,453.39 करोड़, कुल ₹ 1179.42 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह शुद्ध आरक्षित निधि (₹ 741.86 करोड़), शुद्ध जमा और अग्रिम (₹ 238.21 करोड़), शुद्ध उचंत और विविध (₹ 124.36 करोड़) और शुद्ध लघु बचत, भविष्य निधि, आदि (₹ 94.70 करोड़) में वृद्धि के कारण हुआ।


2.8.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ राज्य के समेकित निधि से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं।

31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार दस आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी जिसमें से तीन आरक्षित निधियाँ ब्याज सहित (₹ 3,737.35 करोड़ क्रेडिट) और सात आरक्षित निधियाँ ब्याज रहित (₹ 2,000.77 करोड़ क्रेडिट) हैं। इन दस निधियों में से, दो निधियाँ (शेष ₹ 36.48 करोड़ डेबिट) निष्क्रिय थी और आठ निधियाँ (शेष ₹ 5,774.60 करोड़ क्रेडिट) सक्रिय हैं, जिसमें ₹ 1,918.62 करोड़ (33.23 प्रतिशत) का निवेश किया गया था।

सक्रिय एवं निष्क्रिय निधियों के अंतर्गत संचित बकायों की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-2.20 में दिखायी गयी है।

चार्ट-2.20: सक्रिय एवं निष्क्रिय आरक्षित निधियों की प्रवृत्ति



टिप्पणी: निष्क्रिय आरक्षित निधि में संचय डेबिट में है इसलिए इसे नकारात्मक में दिखाया गया है।

आरक्षित निधियों (सक्रिय-निष्क्रिय) में वर्ष के दौरान लेन-देन के विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

2.8.2.1 निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

दो आरक्षित निधियाँ लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। इन दो निधियों में ₹ 36.48 करोड़ (डेबिट) का शेष है। इन निष्क्रिय निधियों का विवरण नीचे तालिका-2.37 में दिया गया है।

तालिका-2.37: निष्क्रिय आरक्षित निधियों का विवरण

क्र. सं.	निधि का नाम	31 मार्च 2024 तक धनराशि (₹ करोड़ में)	स्थापना वर्ष	निष्क्रिय (कब से)
1.	शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	0.01 (क्रेडिट)	2000-01	2007-08
2.	विद्युत विकास निधि	36.49 (डेबिट)	2005-06	2015-16
योग		36.48 (डेबिट)		

2.8.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि के स्थान पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी आर एफ) की स्थापना की। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र और विशेष श्रेणी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड को इस निधि में 90:10 के अनुपात में अंशदान करना है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह अंशदान लोक-लेखे के अंतर्गत मुख्य लेखा शीर्ष 8121 में हस्तांतरित करना है। वर्ष के दौरान किए गए व्यय मुख्य लेखा-शीर्ष 2245 द्वारा संचालित होंगे। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किए गए व्यय को विपरीत कटौती डेबिट प्रविष्टि के साथ लोक लेखा से व्यय मुख्य लेखा शीर्ष 2245 को डेबिट करके समायोजित किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में व्यय हेतु धन अपर्याप्त होता है तो भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन डी आर एफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। एन डी आर एफ के अंतर्गत प्रदान की गई सम्पूर्ण निधि को सीधे प्राकृतिक आपदा पर खर्च किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए एस डी आर एफ पर भारित व्यय का विवरण तालिका-2.38 तथा एस डी आर एफ के विवरण तालिका-2.39 में दिये गये हैं।

तालिका-2.38: एस डी आर एफ पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु-लेखा शीर्ष	2023-24 के दौरान व्यय
2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	101-आरक्षित निधि और जमा लेखों में हस्तांतरण	1,120.40
	901-कटौती-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिली राशि	(-)200.00
	उप-योग	920.40
2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80-सामान्य	102-आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	121.15
	800-अन्य व्यय	...
	उप-योग	121.15
कुलयोग		1,041.55

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका-2.39: एस डी आर एफ का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2023)	केंद्र द्वारा अंशदान	राज्य का अंशदान	योग	निकाली गई राशि (मुख्य शीर्ष 2245-05)	निधि में शेष राशि (31 मार्च 2024)	वर्ष के दौरान आर बी आई के माध्यम से निवेश की गई राशि
2.27	826.40	92.00	918.40	200.00	720.67	शून्य

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एस डी आर एफ से न तो कोई निवेश किया है और न ही बकाया निधि पर कोई ब्याज दिया है जो एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने सूचित किया कि दिशानिर्देशों का पालन करने के प्रयास किए जाएंगे।

2.8.2.3 राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस डी एम एफ)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अन्तर्गत राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस डी एम एफ) का गठन किया जाना निर्धारित है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन डी आर एफ) के दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के अन्तर्गत आने वाली आपदा के संबंध में विशेष रूप से शमन परियोजनाओं हेतु यह कोष बनाया गया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 710/XVIII (2)/08-3(15)/2007 दिनांक 05 मई 2008 के माध्यम से मुख्य लेखाशीर्ष 8121-130- राज्य आपदा शमन कोष बनाया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 305.00⁹ करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 23.00 करोड़ है। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 328.00 करोड़ हस्तांतरित किए। हालांकि, राज्य ने ₹ 21.48 करोड़ (क्रेडिट शेष) की शेष धनराशि छोड़कर कोष से ₹ 218.60 करोड़ की धनराशि निकाल ली। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 187.40 करोड़ का केंद्रीय अनुदान प्राप्त हुआ, जिसके समतुल्य राज्य अंशदान को आज तक निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने सूचित किया कि दिशानिर्देशों का पालन करने के प्रयास किए जाएंगे।

⁹ इसमें वर्ष 2023-24 हेतु ₹ 206.60 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 हेतु ₹ 98.40 करोड़ सम्मिलित हैं।

2.8.2.4 प्रतिभूति मोचन निधि

वर्ष 2006-07 में उत्तराखण्ड सरकार ने प्रतिभूति मोचन निधि का गठन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य निकायों द्वारा ली गयी उधारियों एवं सरकार द्वारा जारी बॉन्ड के संबंध में जारी प्रतिभूतियों एवं लाभार्थियों द्वारा मांगे गए भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया था। निधि में जमा राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के भुगतान के लिए किया जाना है न कि उन संस्थानों द्वारा भुगतान किया जाना है जिनकी ओर से प्रतिभूति जारी की गई थी।

उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिसम्बर 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को बकाया अवलंबित प्रतिभूति के कम से कम पांचवें हिस्से के बराबर धनराशि का अंशदान करना आवश्यक है, साथ ही वर्ष के दौरान जारी की गई वृद्धिशील प्रतिभूति के परिणामस्वरूप लागू होने वाली प्रतिभूति की धनराशि का अंशदान करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधियों का निवेश किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि 2023-24 के दौरान कोई भी प्रतिभूति प्रदत्त नहीं की गई थी। चालू वर्ष के दौरान, समेकित निधि से प्रतिभूति मोचन निधि में अपेक्षित ₹ 10.00 करोड़ की धनराशि का अंशदान किया गया था। इसके अलावा, ₹ 35.15 करोड़ के प्राप्य गारंटी कमीशन शुल्क के मुकाबले ₹ 0.23 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप गारंटी कमीशन शुल्क के रूप में ₹ 34.92 करोड़ की कम प्राप्ति हुई। साथ ही, 19 दिसंबर 2016 की उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, प्राप्त गारंटी शुल्क को गारंटी मोचन निधि के अर्न्तगत लोक लेखा में जमा किया जाना है। हालांकि, राज्य सरकार ने ₹ 0.23 करोड़ की समस्त प्रतिभूति कमीशन राशि को राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और उस सीमा तक राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों से सहमति व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने और इसे प्राथमिकता पर लेने का निर्देश दिया।

पिछले पांच वर्षों के दौरान गारंटी मोचन निधि से किए गए निवेश से औसत प्रतिफल 7.52 प्रतिशत था। प्रतिभूति मोचन निधि का विवरण तालिका-2.40 में दिया गया है।

तालिका-2.40: प्रतिभूति मोचन निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2023)	निधि में जमा (अंशदान और ब्याज)	निधि से भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष के दौरान आर बी आई द्वारा निवेश की गई धनराशि	अंतिम शेष (31 मार्च 2024)
176.75 (105.00 मूलधन एवं 71.75 ब्याज)	22.69 (10.00 मूलधन एवं 12.69 ब्याज)	शून्य	199.44 (115.00+84.44)	199.44	शून्य

स्रोत: वित्त लेखे।

2.8.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि

उत्तराखण्ड राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि की स्थापना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सितम्बर 2018 में, प्राप्त हुई धनराशि के प्रबंधन हेतु तथा एकत्र हुए धन को प्रतिपूरक वनरोपण के उपयोग हेतु, प्राकृतिक पुनर्जनन हेतु सहायक बनने, वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढाँचागत विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा और अन्य संबन्धित गतिविधियों और उससे जुड़े अथवा उसके जैसे मामलों पर व्यय करने हेतु की गई थी। इस निधि के अंतर्गत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के वन, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरण मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2018 में जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा हालाँकि अभी तक इन दिशा-निर्देशों को अपनाया नहीं गया है और लेखांकन प्रक्रिया¹⁰ को लागू नहीं किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि से उत्तराखण्ड के अंश के रूप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 213.01 करोड़ (₹ 212.96 करोड़ ब्याज हेतु + ₹ 0.05 करोड़ उपभोक्ता शुल्क हेतु) की धनराशि मुख्य लेखाशीर्ष '8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में जमा की गई। निधि में ₹ 2,995.20 करोड़ की शेष राशि छोड़ते हुए 31 मार्च 2024 को निधि से ₹ 237.39 करोड़ राशि आहरित की गई थी।

2.8.3 आरक्षित निधियों एवं ब्याज युक्त जमाओं के सापेक्ष ब्याज देयताओं का निर्वहन न करना

राज्य सरकार श्रेणी जे-आरक्षित निधियाँ (अ- ब्याज युक्त आरक्षित निधियाँ) और के- जमा और अग्रिम (अ- ब्याज युक्त जमा) के अन्तर्गत शेष राशि के संबंध में ब्याज

¹⁰ यह दिशानिर्देश बताते हैं, कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकार को प्राप्त धनराशियों को मुख्य शीर्ष 8336 सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष "राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा" में डाला जायेगा। इसमें से 90 प्रतिशत राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा एवं 10 प्रतिशत राष्ट्रीय निधि में। इसी तरह व्यय शुरुआत में मुख्य शीर्ष-2406 के तहत दर्ज किया जाएगा तत्पश्चात संबंधित मुख्य लेखा शीर्ष-2406 में घटाए वापसी दर्ज कर लोक लेखे के मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा।

का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस उद्देश्य के लिए मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में विशिष्ट उप-मुख्य लेखाशीर्ष प्रदान किए गये हैं।

तदनुसार, ₹ 5.43 करोड़ ब्याज देयताएं थीं जो राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान करने की आवश्यकता थी जैसा कि तालिका-2.41 में दिया गया है।

तालिका-2.41: आरक्षित निधि और जमाओं में देय ब्याज की अदेय देयता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज की दर	2023-24 की शुरुआत में शेष	देय ब्याज	ब्याज भुगतान
जे-आरक्षित निधि	(अ) ब्याज युक्त आरक्षित निधि (एस डी आर एफ)	8.5 प्रतिशत (औसत डब्लू एम ए से 2 प्रतिशत अधिक)	(क्रेडिट) 2.27	5.28	--
	(स) ब्याज युक्त आरक्षित निधि (एस डी एम एफ)	8.5 प्रतिशत (औसत डब्लू एम ए से 2 प्रतिशत अधिक)	(डेबिट) 87.92	0.15	--
कुल				5.43	--

स्रोत : वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ 2023-24, उत्तराखण्ड सरकार।

चालू वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 5.43 करोड़ के देय ब्याज के सापेक्ष कोई ब्याज नहीं दिया। ₹ 5.43 करोड़ का भुगतान न किए जाने से राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर उस सीमा तक असर पड़ा।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने आंकड़ों के सत्यापन के बाद अनुपालन के लिए सहमति व्यक्त की और नोट किया।


2.9 ऋण प्रबंधन

लोक देयता का प्रबंधन, सरकार की देयताओं के प्रबंधन के लिए एक नीति स्थापित करने और उसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, ताकि आवश्यक धनराशि जुटाई जा सके, जोखिम और लागत संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, तथा सरकार द्वारा अधिनियम या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणा के माध्यम से निर्धारित किए गए किसी अन्य संप्रभु देयता प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

2.9.1 समय दायित्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2023-24 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 80,266 करोड़ था। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान वर्षवार कुल ऋणों को नीचे चार्ट-2.21 में दिखाया गया है।

चार्ट-2.21: समग्र ऋणों की प्रवृत्ति



टिप्पणी: जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित ₹5,649 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु क्रमशः ₹2,316 करोड़ और ₹3,333 करोड़) को स रा घ उ से बकाया ऋण के अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण¹¹ के अनुसार इस उधार को वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा।

2.9.2 ऋण संरचना: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखों की देयता शामिल हैं। उत्तराखण्ड के एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार कुल देयताओं का अर्थ है राज्य की समेकित निधि एवं राज्य के लोक लेखे के अंतर्गत देयताएं। घटक-वार ऋण प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका-2.42 में दिखाई गई हैं।

तालिका-2.42: घटक-वार ऋण प्रवृत्तियाँ

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋण	65,982	71,435	71,375	72,860	80,266
लोक ऋण	50,250	54,799	55,554	56,510	62,312
(i) आंतरिक ऋण	49,437	53,302	53,759	53,559	57,379
(ii) भा स से ऋण	813	1,497	1,795	2,951	4,933
लोक लेखा देयताएँ	15,732	16,636	15,821	16,350	17,954
(i) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	8,565	8,997	9,331	9,453	9,671
(ii) आरक्षित निधि	3,332	3,422	2,954	3,016	3,820
(iii) जमा	3,835	4,217	3,536	3,881	4,463
बकाया कुल देयता की वृद्धि दर	13.69	8.26	(-) 0.09	2.08	10.16

¹¹ व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक फा सं 40(1) पी एफ -एस /2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 ।

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)	2,39,263	2,25,617	2,67,143	3,03,781	3,46,206
देयता/ स रा घ उ (प्रतिशत)	27.58	31.66	26.72	23.98	23.18
ऋण और अन्य देयताएं (वित्तीय लेखों के विवरण 6 के अनुसार)					
कुल प्राप्तियाँ	22,194	23,327	16,326	18,188	38,573
कुल पुनर्भुगतान	14,251	15,558	13,053	16,703	31,168
कुल उपलब्ध पूँजी	7,943	7,769	3,273	1,485	7,405
पुनर्भुगतान/ प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	64.21	66.70	79.95	91.84	80.80

स्रोत: वित्त लेख।

टिप्पणी: जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित ₹5,649 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु क्रमशः ₹2,316 करोड़ और ₹3,333 करोड़) को स रा घ उ से बकाया ऋण के अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उधार को वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा।


राज्य सरकार की कुल देयताओं में ₹ 14,284 करोड़ (21.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, जो 2019-20 में ₹ 65,982 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 80,266 करोड़ हो गई हैं। हालांकि, यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 7,406 करोड़ (10.16 प्रतिशत) बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 3,820 करोड़ (7.13 प्रतिशत) और ₹ 1,982 करोड़ (67.16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान लोक लेखे पर देयताओं में ₹ 2,222 करोड़ (14.12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा देयताओं के सभी घटकों में वृद्धि के कारण लोक लेखे पर देयताओं में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,604 करोड़ (9.81 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.9.3 वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया समय देयताओं का विवरण

वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण ₹ 80,266 करोड़ था। आंतरिक ऋण, जो मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 57,379 करोड़) है, कुल बकाया ऋण का 72 प्रतिशत है। ऋण का घटक-वार विवरण नीचे चार्ट-2.22 में दिया गया है:

चार्ट-2.22: वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया देयताओं का विवरण

(₹ करोड़ में)



टिप्पणी: बकाया कुल देयता में भारत सरकार से वर्ष 2021-22 तक जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ सम्मिलित नहीं है।

2.9.4 घटक-वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में शामिल आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, लोक लेखे के ऋण की प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका-2.43 तथा चार्ट-2.23 में दर्शाई गई हैं।


तालिका-2.43: घटक-वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाज़ार उधारियाँ	भारत सरकार से ऋण	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	वित्तीय संस्थानों से ऋण	लघु बचतें/ भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा एवं अग्रिम
2019-20	36,451.59	812.87	8,645.99	4,339.10	8,565.28	3,332.06	3,835.28
2020-21	41,660.05	1,497.10	7,864.97	3,776.54	8,996.74	3,421.96	4,217.28
2021-22	43,460.04	1,794.32	6,753.88	3,545.25	9,330.62	2,954.39	3,536.19
2022-23	44,910.02	2,951.33	5,312.70	3,335.70	9,453.58	3,016.02	3,880.66
2023-24	48,710.02	4,932.92	4,531.68	4,137.08	9,671.24	3,819.50	4,463.34

चार्ट-2.23: घटक-वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)




टिप्पणी: बकाया कुल देयता में जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित बैंक टू बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ (वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 हेतु क्रमशः ₹3,333 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़) सम्मिलित नहीं है।

2.9.5 लिये गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान आन्तरिक ऋणों को प्राप्त करने और पुनर्भुगतान करने की संरचना चार्ट-2.24 में दी गई है।

चार्ट-2.24: लिये गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिरूप में एक संघटनात्मक बदलाव आया है जैसा तालिका-2.44 में दिखाया गया है।

तालिका-2.44: राजकोषीय घाटे के घटक और उसका वित्त पोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
क	राजकोषीय घाटे के घटक (1 से 3)	(-7,657)	(-5,439)	(-3,736)	(-2,949)	(-7,749)
1.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष(+)	(-2,136)	(+1,114)	(+4,128)	(+5,310)	(+3,341)
2.	निवल पूंजीगत व्यय	(-5,414)	(-6,538)	(-7,534)	(-8,183)	(-10,982)
3.	निवल ऋण और अग्रिम	(-107)	(-14)	(-330)	(-76)	(-108)
ख	राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण पद्धति					
1.	निवल लोक ऋण	(+4,017)	(+6,865)	(+4,088)	(+956)	(+5,802)
अ.	निवल बाजार उधारियाँ	(+4,500)	(+5,209)	(+1,800)	(+1,450)	(+3,800)
ब.	भारत सरकार से निवल ऋण	(+23)	(+3,000)	(+3,630)	(+1,157)	(+1,982)
स.	एन एस एस एफ को जारी निवल विशेष प्रतिभूतियाँ	(-781)	(-781)	(-1,111)	(-1,441)	(-781)
द.	वित्तीय संस्थानों से निवल ऋण ¹²	(+275)	(-563)	(-231)	(-210)	(+801)
2.	निवल लोक लेखे	(+2,761)	(+302)	(-525)	(+274)	(+1,453)
अ.	निवल लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(+666)	(+431)	(+334)	(+123)	(+218)
ब.	निवल जमा और अग्रिम	(+501)	(+382)	(-681)	(+344)	(+583)
स.	निवल उंचत और विविध	(-1,164)	(-595)	(+278)	(-272)	(-148)
द.	निवल प्रेषण	(-01)	(-6)	(+12)	(+17)	(-3)
ड.	निवल आरक्षित निधि	(+2,759)	(+90)	(-468)	(+62)	(+803)
3.	निवल आकस्मिकता निधि	(+68)	(-225)	(+224)	(+90)	(-130)
4.	नकद शेष राशि में वृद्धि	(+811)	(-1,503)	(-51)	(+1,629)	(+624)

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

¹² निवल अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार से लिए गए उधार (49.04 प्रतिशत), भारत सरकार से ऋण (25.58 प्रतिशत) एवं आरक्षित निधि (10.36 प्रतिशत) और नकदी शेष में वृद्धि (8.05 प्रतिशत) द्वारा प्रबंधित किया गया था। यह एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों (10.08 प्रतिशत) में गिरावट से प्रतिसंतुलित हुआ। वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण चार्ट-2.25 में दिया गया है।

चार्ट-2.25: राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण



2.9.6 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा राज्य सरकार की ओर से ऋणों के पुनर्भुगतान या ऋण शोधन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। राज्य के लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋण) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका-2.45 और चार्ट-2.26 में दी गयी है।

तालिका-2.45: लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा


(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का वर्ष	परिपक्वता रूपरेखा (वर्षों में)	धनराशि			लोक ऋण का प्रतिशत
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	योग	
2025-26 तक	0-2	7,746.90	113.21	7,860.11	12.61
2026-27 एवं 2028-29 के बीच	2-5	19,642.31	170.13	19,812.44	31.80
2029-30 एवं 2033-34 के बीच	5-10	25,313.36	294.40	25,607.76	41.10
2034-35 से आगे	10 से ऊपर	539.12	282.38	821.50	1.32
अन्य ¹³	उ न	4,137.08	4,072.80	8,209.88	13.17
योग		57,378.77	4,932.92	62,311.69	100.00

टिप्पणी: भारत सरकार से ऋण में वर्ष 2022-22 तक के जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ शामिल नहीं हैं। इस ऋण की ऋण सेवा जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा।

¹³ इन ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं है।

चार्ट-2.26: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा



31 मार्च 2024 को लोक ऋणों की बकाया राशि की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि बकाया लोक ऋण ₹ 62,311.69 करोड़¹⁴ में से, 85.51 प्रतिशत (₹ 53,280.31 करोड़) अगले दस वर्षों में भुगतान योग्य हैं जबकि 1.32 प्रतिशत (₹ 821.50 करोड़) ऋण दस वर्ष से अधिक के परिपक्वता कोष्ठक में हैं। बकाया 13.17 प्रतिशत (₹ 8,209.88 करोड़) की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं है। इसमें मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों से आंतरिक ऋण (जी आई सी, एल आई सी, एस बी आई, नाबार्ड, एन सी डी सी आदि) ₹ 3,530.02 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता योजना के रूप में भारत सरकार से ऋण ₹ 4,031.10 करोड़ सम्मिलित है। कुल बकाया लोक ऋण में से आंतरिक ऋण (₹ 57,378.77 करोड़) जिसमें बाजार उधार, नाबार्ड से ऋण और एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां आदि शामिल हैं, 92.08 प्रतिशत है। अगले 10 वर्षों की अवधि में बकाया बाजार ऋणों की राशि और उस पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज का विवरण नीचे तालिका 2.46 और चार्ट 2.27 में दिया गया है।

तालिका-2.46: ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान


(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनर्भुगतान		
	लोक ऋण (बाजार ऋण)**	ब्याज	योग
2024-25	2,400.00	3,714.45	6,114.45
2025-26	3,900.00	3,518.84	7,418.84
2026-27	5,450.00	3,194.30	8,644.30
2027-28	6,660.00	2,786.34	9,446.34
2028-29	6,300.00	2,271.45	8,571.45
2029-30	5,100.00	1,742.51	6,842.51

¹⁴ इसमें जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ (2021-22 एवं 2020-21 हेतु क्रमशः ₹ 3,333 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़) को शामिल नहीं किया गया है। इस ऋण की ऋण सेवा जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा।

वर्ष	पुनर्भुगतान		
	लोक ऋण (बाज़ार ऋण)**	ब्याज	योग
2030-31	6,200.00	1,374.54	7,574.54
2031-32	3,200.00	948.46	4,148.46
2032-33	3,200.00	719.98	3,919.98
2033-34	6,300.00	472.73	6,772.73
योग	48,710.00	20,743.60	69,453.60

**बाजार ऋण के अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण घटकों के संबंध में ब्याज की गणना सूचना यानि वित्त खाते में परिपक्वता प्रोफाइल और ब्याज की दर की अनुपलब्धता को देखते हुए संभव नहीं है।



नोट: 31 मार्च 2024 को बकाया बाजार ऋणों के लिए परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई है और ब्याज की उस वित्तीय वर्ष तक के लिए गणना की गई है जिसमें ऋण समाप्त होंगे।

राज्य को अगले पाँच वित्तीय वर्षों अर्थात वर्ष 2028-29 तक बाजार ऋणों का ₹ 24,710 करोड़ और ब्याज का ₹ 15,485 करोड़ का भुगतान करना होगा। अगले दस वर्षों 2033-34 तक, मूलधन ₹ 24,000 करोड़ और ब्याज ₹ 5,258 करोड़ देय होगा। ऋण और ब्याज के रूप में अगले दस वर्षों के दौरान वर्ष 2033-34 तक ₹ 6,945 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा।

चालू वर्ष में ₹ 5,978 करोड़ (₹ 2500 करोड़ मूलधन + ₹ 3,478 करोड़ ब्याज) की राशि बाजार ऋणों के रूप में चुकाई गई।

2.9.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण के लिए एक व्यापक संकेतक-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है, जो कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों (जी एस डी पी की वृद्धि दर, प्रभावी ब्याज दर, प्राथमिक शेष आदि) और डोमर मॉडल का संयोजन है। यह दृष्टिकोण सार्वजनिक ऋण सहित सभी प्रकार के ऋण के साथ-साथ सार्वजनिक खातों जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा आदि से उत्पन्न होने वाली देयताओं को भी ध्यान में रखता है, इसलिए, राज्य सरकार के वित्त का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। हालाँकि, लोक ऋण का स्तर जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि

राजकोषीय नीति और लोक ऋण अस्थिर हों, क्योंकि उच्च ऋण को धारणीय बनाए रखने के लिए उच्च प्राथमिक अधिशेष की आवश्यकता होती है। उच्च स्तर का ऋण कई चुनौतियाँ उत्पन्न करता है:

- उच्च स्तरीय ऋण सेवा हेतु विशाल प्राथमिक राजकोषीय आधिक्य आवश्यक है; आर्थिक और राजनीतिक तौर पर ऐसे आधिक्य को बनाये रखना मुश्किल हो सकता है।
- एक उच्च स्तरीय ऋण ब्याज दर और विकास में गतिरोधकों के प्रति अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाता है।
- एक उच्च ऋण स्तर सामान्यतः अत्यधिक उधार आवश्यकताओं से सम्बन्धित है और इसलिए यह एक रोलओवर संकट है (यानी निजी स्रोतों से उधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होना या केवल उच्च ब्याज दर पर ऐसा करने में समर्थ होना)।
- उच्च स्तरीय ऋण आर्थिक विकास के लिये हानिकारक हो सकते हैं, जबकि निम्न विकास अपने आप में चिन्ता का कारण है, और इसका लम्बे समय तक ऋणों की गतिशीलता एवं ऋणों की स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ता है।

ऋण के प्रति कमजोरी इसके प्रोफाइल से भी सम्बन्धित होती है। मूल परिपक्वता पर अल्प अवधि के ऋण का एक बड़ा हिस्सा रोलओवर (पुनः वित्तपोषण जोखिम) एवं ब्याज दर के जोखिम को बढ़ाते हैं। लोक ऋण की स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि यह विकराल न हो जाए, तथा सरकारों को करों में उल्लेखनीय वृद्धि करने या व्यय में कमी करने के लिए बाध्य न होना पड़े।

विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित प्रस्तारों में दिए गए हैं:

(क) ऋण स्थिरता को राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण की अदायगी करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नताओं का विश्लेषण तालिका-2.47 और चार्ट-2.28 में दिया गया है।

तालिका-2.47: ऋण स्थिरता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	ऋण स्थिरता के संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	समग्र देयताएं या समग्र ऋण	65,982.17	71,434.64	71,374.68	72,860.02	80,265.78
2	समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.69	8.26	(-)0.08	2.08	10.16
3	स रा घ उ (वर्तमान मूल्यों पर)	2,39,263	2,25,617	2,67,143	3,03,781	3,46,206
4	वर्तमान मूल्यों पर स रा घ उ वृद्धि (प्रतिशत में)	3.88	(-)5.70	18.41	13.71	13.97
5	समग्र ऋण/ स रा घ उ (प्रतिशत में)	27.58	31.66	26.72	23.98	23.18

क्र.सं.	ऋण स्थिरता के संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
6	सभी प्रकार के उधारों की परिपक्वता विवरणिका #					
क	0-2 वर्ष	3,670.63	4,827.84	5,940.47	6,590.78	7,860.11
ख	2-5 वर्ष	8,672.21	11,301.66	14,225.36	17,652.11	1,98,212.44
ग	5-10 वर्ष	30,399.20	33,418.29	30,594.28	25,771.43	25,607.76
घ	10 वर्ष से अधिक	3,168.34	757.57	267.44	1,055.08	821.50
7	समग्र देयताओं का पुनर्भुगतान (प्रतिशत में)	64.21	74.05	100.46	91.83	80.80
8	समग्र देयताओं के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध शुद्ध उधार	35.79	25.95	(-)0.46	8.17	19.20
9	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	4,504.02	4,773.07	4,938.83	5,103.63	5,192.45
10	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.66	7.37	7.36	7.59	7.45
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	14.66	12.49	11.47	10.40	10.26
12	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)2,136.23	1,113.33	4,128.04	5,309.97	3,341.05
13	प्राथमिक राजस्व शेष (पी आर बी)	2,367.79	5,886.40	9,066.87	10,413.60	8,533.50
14	प्राथमिक शेष (पी बी)	(-)3,153.25	(-)666.11	1,202.99	2,154.59	(-)2,556.57
15	पीबी / स रा घ उ (प्रतिशत)	(-)1.32	(-)0.30	0.45	0.71	(-)0.74
16	समग्र ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर और निवेश पर ब्याज दर के बीच अंतर	(-)6.36	(-)4.49	8.87	(-)6.15	(-)4.82
17	तरलता प्रबंधन (आर बी आई के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन उपकरणों का उपयोग) (कितने अवसरों पर)	140	96	06	39	137
18	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष)	(-)5,516.34	(-)9,418.33	8,633.53	6,277.55	2,148.92
19	डोमर मानदंड					
क	स रा घ उ (स्थिर मूल्यों पर)	1,89,740	1,66,786	1,84,274	1,98,341	2,13,378
ख	वास्तविक वृद्धि (स्थिर मूल्यों पर)	1.97	(-)12.10	10.49	7.63	7.58
ग	सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	5.89	7.29	5.58	6.51	5.55
घ	प्रभावी ब्याज दर	7.66	7.37	7.36	7.59	7.45
च	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर - मुद्रास्फीति)	1.77	0.08	1.78	1.08	1.90
छ	वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि - ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर)	0.20	(-)12.18	8.70	6.56	5.68

इसमें लोक ऋण पर देयता शामिल हैं, जहां परिपक्वता प्रोफाइल उपलब्ध थी। लोक लेखे को शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसकी परिपक्वता प्रोफाइल उपलब्ध नहीं थी।

* निवेश पर ब्याज दर (आर ओ आई) को ब्याज प्राप्तियों की प्रभावी दर से मापा जाता है। आर ओ आई = (ब्याज प्राप्तियाँ / पिछले और चालू वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया ऋणों का औसत) x 100 ।

चार्ट-2.28: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति



- ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम प्रसार शून्य है, तो ऋण-स रा घ उ अनुपात स्थिर प्रवृत्ति का होगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स रा घ उ अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-स रा घ उ अनुपात अंततः गिर जाएगा।
- तालिका-2.47 से पता चलता है कि कुल देयताओं के सापेक्ष स रा घ उ अनुपात द्वारा मापे गए राज्य के ऋण बोझ में, 2020-21 तक ऊपर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाने के बाद सुधार होना शुरू हुआ, जबकि अवधि (2019-2024) के अंतिम तीन वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई, जिस पर ऋण स्थिरता विश्लेषण के लिए विचार किया गया। ऋण-स रा घ उ अनुपात 2018-19 में 25.20 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 27.58 प्रतिशत तथा 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में 31.66 प्रतिशत हो गया। महामारी के प्रभाव के कारण 2020-21 में 4.08 प्रतिशत बिन्दु की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करने के बाद, जब वर्तमान मूल्यों पर स रा घ उ वृद्धि 5.70 प्रतिशत तक संकुचित हुई, तो महामारी के बाद के वर्ष (2021-22) में यह घटकर 26.72 प्रतिशत हो गयी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.94 प्रतिशत का सुधार दर्ज कर रही है। गिरावट की प्रवृत्ति के बाद, समग्र देयताओं-स रा घ उ अनुपात 2022-23 में

23.98 प्रतिशत और 2023-24 में 23.18 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्ष 2021-22 के बाद से समग्र देयताओं-स रा घ उ अनुपात द्वारा मापे गए राज्य के ऋण बोझ में लगातार गिरावट से संकेत मिलता है कि इसने स्थिरीकरण शुरू कर दिया है।

- वर्ष-वार विश्लेषण से पता चलता है कि विकास ब्याज अंतर (जी आई डी), जो 2018-19 में पहले से ही ऋणात्मक है, में निरंतर गिरावट आई है, निरन्तर प्राथमिक घाटे के कारण 2019-20 और 2020-21 में ऋण- स रा घ उ अनुपात में वृद्धि हुई है। प्राथमिक घाटे में उल्लेखनीय कमी करके उधार लेने की आवश्यकताओं के प्रति कम रुचि के साथ, राज्य ऋण- स रा घ उ अनुपात को पिछले वित्त वर्ष में 2.38 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की तुलना में 2020-21 में 4.08 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज करने से नहीं रोक सका। हालांकि, महामारी के प्रभाव से उबरते हुए, 2021-22 में आधार प्रभाव के कारण 18.41 प्रतिशत की महत्वपूर्ण नाममात्र वृद्धि और प्राथमिक संतुलन द्वारा समर्थित स्थिर नाममात्र वृद्धि से स्पष्ट है, जो सकारात्मक क्षेत्र में बनी रही, जिससे राज्य के ऋण बोझ में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 4.94 प्रतिशत अंकों और 2022-23 में 2.74 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ। प्राथमिक घाटे के बावजूद, राज्य का ऋण- स रा घ उ अनुपात सुधर कर 2022-23 में 23.98 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 23.18 प्रतिशत हो गया। ऋण- स रा घ उ अनुपात में कमी को अनुकूल जी आई डी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो प्राथमिक घाटे के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए पर्याप्त था।
- डोमर मानदंड के अनुसार, उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति के बावजूद, वास्तविक संदर्भ में विकास ब्याज अंतर (जी आई डी) महामारी वर्ष (2020-21) को छोड़कर, 2019-24 के दौरान अनुकूल रहा, और इसमें वास्तविक वृद्धि दर में 12.10 प्रतिशत का महत्वपूर्ण संकुचन दर्ज किया गया। नाममात्र वृद्धि और प्रभावी ब्याज दर दोनों बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति से प्रेरित रहे। पाँच साल की निम्नतम वास्तविक ब्याज दर के बावजूद, जब सी पी आई मुद्रास्फीति लगभग प्रभावी नाममात्र ब्याज दर के स्तर तक बढ़ गई, तो 2020-21 में जी आई डी प्रतिकूल हो गई। तदोपरांत, सी पी आई मुद्रास्फीति में कमी के कारण निरंतर आर्थिक विकास ने जी आई डी को अगले तीन वर्षों तक अनुकूल रहने में मदद की। औसतन, 2019-2024 की अवधि के दौरान सी पी आई मुद्रास्फीति, आर बी आई द्वारा निर्धारित 2-6 प्रतिशत के टालरेन्स बैंड से ऊपर बनी रही।
- राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान में पिछले पांच वर्षों में लगातार गिरावट आई है जो स्थायी ऋण का संकेत है क्योंकि अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हैं।

- चालू वित्त वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने 137 अवसरों पर आर बी आई के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन साधनों का सहारा लिया, जो खराब राजकोषीय प्रबंधन उत्पन्न करते हैं और अल्पकालिक ऋण स्थिरता में बाधा डालते हैं।

(ख) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट (एफ सी आर) में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों का ब्योरा नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.48: एफ सी आर में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियां

(स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में)

राजकोषीय मापदंड		एफ सी आर में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा	ल	00	00	00	00	00
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	उ	(-) 0.89	0.49	1.55	1.75	0.97
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	ल	(-) 3.25	(-) 4.50	(-) 4.00	(-) 3.50	(-) 3.00
	उ	(-) 3.20	(-) 2.41	(-) 1.40	(-) 0.97	(-) 2.24
कुल बकाया देयता का स रा घ उ से अनुपात	ल	22.52	33.20	33.10	33.90	34.00
	उ	27.58	31.66	26.72	23.98	23.18

राज्य वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान अपने ऋण बोझ को एफ आर बी एम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के भीतर रखने में असमर्थ था। हालांकि, राज्य का ऋण बोझ 2019-20 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहा।

2.9.8 उधार ली गई निधियों का उपयोग

आदर्श रूप में उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत रचना तथा विकास की गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिये। उधार ली गई निधियों का उपयोग चालू उपभोग एवं बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी हेतु धारणीय नहीं है। विगत पाँच वर्षों में उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका-2.49 एवं चार्ट-2.29 में नीचे दिखाई गई है।

तालिका-2.49: उधार ली गई धनराशि का उपयोग


(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व उधारियों की अदायगी (प्रतिशतता)	निवल पूंजीगत व्यय* (प्रतिशतता)	आहरित निवल ऋण एवं अग्रिम (प्रतिशतता)	कुल उधारियों में से राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशतता)
2019-20	5,834	2,131 (37)	3,703 (63)	लागू नहीं	लागू नहीं
2020-21	9,787	2,921 (30)	6,538 (67)	38 (0.39)	लागू नहीं ¹⁵
2021-22	7,473	3,385 (45)	4,088 (55)	लागू नहीं	लागू नहीं
2022-23	5,036	4,079 (81)	957 (19)	लागू नहीं	लागू नहीं
2023-24	9,912	4,110 (41)	5,802 (59)	लागू नहीं	लागू नहीं

*निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय - विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ।

¹⁵ उधार से कोई राजस्व व्यय पूरा नहीं किया गया क्योंकि राज्य के पास 2020-21 में राजस्व अधिशेष था।

चार्ट-2.29: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति



वर्ष 2019-24 की अवधि में, राज्य द्वारा ऋण धनराशि का 30 से 81 प्रतिशत पूर्व के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जिससे पूंजीगत व्यय के लिए कम धनराशि उपलब्ध रही तथा शुद्ध पूंजीगत व्यय उपलब्ध ऋण का 19 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के बीच था। इसके अतिरिक्त, शुद्ध पूंजीगत व्यय पर खर्च 2019-20 में 63 प्रतिशत से 2023-24 में घटकर 59 प्रतिशत हो गया। वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों द्वारा राजस्व घाटे को कम करने एवं अनन्तिम रूप से समाप्त करने तथा समस्त ऋणों का उपयोग पूंजीगत व्यय हेतु करने के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिये जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में जो कि वित्त आयोग अवधि का तृतीय वर्ष है, राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 3,341 करोड़ रहा। राज्य सरकार द्वारा विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2023-24 में अधिक उधार लिया गया।

2.10 प्रतिभूति की स्थिति - आकस्मिक देयताएं

संविधिक निगम, सरकारी कंपनियाँ, सहकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण विशिष्ट सांविधिक इकाईयाँ हैं जो उनके ऋणों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके वित्तीय दायित्वों की प्रतिभूति सरकार द्वारा दी जा सकती है और इस प्रकार सरकार की यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि इन्हें पूरा किया जाए। जब ये संस्थाएं सीधे बाजार से उधार लेती हैं, तो यह उन्हें सरकार के बजटीय सहायता और सरकार के ऋण की मात्रा को कम कर देती है। हालाँकि, यह सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के स्तर को बढ़ाता है। इस प्रकार, प्रतिभूतियां आमतौर पर सरकार की आकस्मिक देयताओं का गठन करती हैं और उधारकर्ता जिसके लिए प्रतिभूति दी गई है द्वारा चूक के मामले में राज्य की संचित निधि पर भारित होती हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार ऐसी किसी भी राशि के लिए प्रतिभूति नहीं देगी जो राज्य सरकार के ऐसे नियम या कानून, जो उसके लागू होने के समय विद्यमान था, के अन्तर्गत अनुबद्ध सीमा से अधिक हो। तथापि, राज्य विधानसभा (संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिकतम सीमा निर्धारित करता है, जिसके अन्तर्गत सरकार, राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर प्रतिभूति दे सकती है) ने दिसम्बर 2016 में ही संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम में संबन्धित प्रावधान किया था।


वित्त लेखे के विवरण-9 और 20 के अनुसार तालिका-2.50 एवं चार्ट-2.30 में राज्य द्वारा अधिकतम राशि जिसके लिए प्रतिभूतियां दी गईं और विगत पाँच वर्षों की लम्बित प्रतिभूति का विवरण दिया गया है।

तालिका-2.50: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां

प्रतिभूतियाँ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
31 मार्च को प्रतिभूतियों की बकाया राशि*	582	729	374	117	119
राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा	उस विशेष वर्ष के स रा घ उ के एक प्रतिशत के भीतर बकाया प्रतिभूति। किसी भी वर्ष के दौरान दी गईं नई प्रतिभूति उस वर्ष के लिए स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।				
वर्ष के दौरान परिवर्धन	402	400	418	386	167
वर्ष के दौरान हटायी गई	712	525	760	643	238

* उपलब्ध सूचना एवं राज्य बजट दस्तावेज पर आधारित।

चार्ट-2.30: लम्बित प्रतिभूतियों की स्थिति



स्रोत: वित्त लेखे।

31 मार्च 2024 को लम्बित प्रतिभूतियों की धनराशि ₹ 119 करोड़ थी, जिसमें सहकारिता (₹ 117 करोड़) एवं अन्य (₹ दो करोड़) शामिल है। 31 मार्च 2024 को कुल लम्बित प्रतिभूतियों की धनराशि ₹ 119 करोड़ थी, जो वर्ष के स रा घ उ की 0.03 प्रतिशत है और इसलिए ये एफ आर बी एम की सीमा (स रा घ उ की 0.30 प्रतिशत) के अन्दर थी।

31 मार्च 2024 तक कुल बकाया प्रतिभूतियों ₹119 करोड़ में से ₹ 117.25 करोड़ का अधिकांश हिस्सा चीनी एवं गन्ना विभाग को दिया गया, जबकि ₹ 1.53 करोड़ और ₹ 0.63 करोड़ की राशि क्रमशः उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम और उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को दी गई।

वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति प्रदत्त नहीं की गई। प्रतिभूति की अधिकतम धनराशि के बारे में सूचना राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से उपलब्ध करायी गई, और इसलिए विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है। इन विवरणों में भारत सरकार के लेखांकन-1 (आई जी ए एस-1) की आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति नहीं हुई है। राज्य सरकार ने ₹ 0.23 करोड़ प्रतिभूति कमीशन के रूप में प्राप्त किए। इसमें से ₹ 0.23 करोड़ 'उत्तराखंड सरकारी प्रतिभूति पर सीलिंग अधिनियम, 2016' के अनुसार गारंटी मोचन निधि के बजाय राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्त किए गए थे, जिसमें यह अपेक्षा की गई थी कि प्राप्त प्रतिभूति कमीशन को निधि के कॉर्पस में ले जाया जाए।

2.11 नकद बकाये का प्रबन्धन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रतिदिन बैंक में एक न्यूनतम नकद धनराशि बनाए रखनी आवश्यक है। अगर किसी दिन बकाया, तय न्यूनतम से कम रहता है तो इसकी कमी को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एम ए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस डब्ल्यू एम ए)/ओवर ड्राफ्ट (ओ डी) के द्वारा समय-समय पर पूरा किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकार को ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम नकद बकाया प्रतिदिन बैंक में रखना होगा। 01 अप्रैल 2023 से सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा ₹ 602 करोड़ थी और बैंक द्वारा एस डब्ल्यू एम ए की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है। 2023-24 के दौरान एस डब्ल्यू एम ए की सीमा ₹ 310.58 करोड़ से ₹ 586.23 करोड़ तक थी। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 19,526.71 करोड़ का डब्ल्यू एम ए प्राप्त किया और ₹ 18,919.65 करोड़ का भुगतान किया तथा 31 मार्च 2024 तक डब्ल्यू एम ए का ₹ 607.06 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान 228 दिनों में राज्य सरकार ने बिना कोई अग्रिम लिए न्यूनतम प्रतिदिन नकद बकाया भारतीय रिजर्व बैंक में रखा था। वर्ष के दौरान डब्ल्यू एम ए, एस डब्ल्यू एम ए तथा ओवरड्राफ्ट का उपयोग क्रमशः 45 दिन, 64 दिन एवं 28 दिन के लिए किया गया था।

2.11.1 नकद बकाये का निवेश

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद बकाया और उसमें से किया गया निवेश तालिका-2.51 में दिया गया है।

तालिका-2.51: नकद बकाया और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2024 को अंतिम शेष
क. सामान्य नकद बकाया		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)131.82	(-)102.34
अन्य बैंकों में जमा	0.00	0.00
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	0.00	0.00
योग	(-)131.82	(-)102.34
नकद बकाया निवेश लेखे में निवेश	653.37	0.00
योग (अ)	521.55	(-)102.34
ख. अन्य नकद बकाया और निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद, जैसे लो नि वि, वन अधिकारी	(-) 10.71	(-) 10.71
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	(-) 0.81	(-) 0.81
चिन्हित निधि में निवेश	1,808.62	1,918.62
योग (ब)	1,797.10	1,907.10
योग (अ + ब)	2,318.65	1,804.76
वसूला गया ब्याज	44.17	23.97

स्रोत: वित्त लेखे।

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का नकद बकाया 2022-23 में ₹ 2,318.65 करोड़ से ₹ 513.89 करोड़ (22.16 प्रतिशत) घटकर 2023-24 में ₹ 1,804.76 करोड़ हो गया। यह मुख्यतः नकद शेष निवेश खाते में निवेश (₹ 653.37 करोड़) में कमी के कारण था, जो चिन्हित निधियों में जमा राशि (₹ 110 करोड़) में वृद्धि से प्रतिसंतुलित हुआ था।

राज्य सरकार अपने आधिक्य नकद बकाये को भारत सरकार की लघु एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों तथा कोषागार बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ को शीर्ष "0049-ब्याज प्राप्तियाँ" में प्राप्ति के अन्तर्गत क्रेडिट किया जाता है। राज्य सरकार ने 2023-24 के दौरान भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश से ₹ 23.97 करोड़ ब्याज अर्जित किया।

चिन्हित निधियों में निवेशित कुल धनराशि ₹ 1,918.62 करोड़ में से, पूरी राशि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित किया गया। 2019-20 से 2023-24 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेशों को नीचे तालिका-2.52 में दिया गया है।

तालिका-2.52: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2019-20	247.48	00	(-) 247.48	21.73
2020-21	00	1,931.57	(+)1,931.57	32.01
2021-22	1,931.57	2,037.62	(+) 106.05	34.23
2022-23	2,037.62	653.37	(-)1,384.25	44.17
2023-24	653.37	00	(-)653.37	23.97

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण दर्शाता है कि 2022-23 से निवेश में कमी आ रही थी। चालू वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष-नकद शेष निवेश खाते में ₹ 653.37 करोड़ (100 प्रतिशत) की कमी के साथ अंतिम शेष शून्य रहा।


वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिये गये बाजार ऋण और औसत नकद शेष में उपलब्ध शेष के बीच तुलना चार्ट-2.31 में दर्शाई गई है। बाजार ऋण उच्च ब्याज दर पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश से कम दर पर ब्याज मिला।

चार्ट-2.31: बाजार ऋण के सापेक्ष औसत नकद शेष



चार्ट-2.32 में वर्ष 2023-24 के दौरान माह-वार नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष के बीच तुलना दर्शायी गई है।

चार्ट-2.32: 2023-24 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष की माह-वार प्रवृत्ति



पूर्ववर्ती चार्ट इंगित करता है कि राज्य सरकार ने पाँच बार (सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर 2023 तथा फरवरी एवं मार्च 2024) बाजार ऋणों का सहारा लिया। दिसंबर 2023 एवं फरवरी 2024 में नकद शेष उपलब्ध होने के बावजूद राज्य सरकार ने बाजार ऋणों का सहारा लिया। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 6,300 करोड़ बाजार से उठाये।

2.12 निष्कर्ष

- 2023-24 के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,532 करोड़ (3 प्रतिशत) की वृद्धि, स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,143 करोड़), संघ करों एवं शुल्कों में राज्य के अंशदान (₹ 2,011 करोड़) में वृद्धि एवं सहायता अनुदान (₹ 2,673 करोड़) में कमी के कारण हुई।
- 2019-24 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय, कुल व्यय का औसतन 84 प्रतिशत (वर्ष 2019-24 के दौरान 81 प्रतिशत से 86 प्रतिशत के बीच) था। 2019-24 की पाँच वर्ष अवधि के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शायी। प्रतिबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का 57 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2019-24 के दौरान, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 53 प्रतिशत से 71 प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।

- अनम्य व्यय, राजस्व व्यय का छः प्रतिशत से नौ प्रतिशत के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2019-24 के दौरान, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के पाँच प्रतिशत से आठ प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।
- चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में ₹ 2,788 करोड़ (34.02 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों (₹ 10,403 करोड़) से ₹ 579 करोड़ अधिक तथा बजट अनुमानों (₹ 13,134 करोड़) से ₹ 2,152 करोड़ कम था।
- उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिलाभ नगण्य था। चालू वर्ष के दौरान, बकाया ऋणों के सापेक्ष वसूल की गयी राशि ₹ 15.82 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2023 तक बकाया ऋणों (₹ 2,454.61 करोड़) का 0.64 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य में कुल व्यय के अनुपात में शिक्षा, सामाजिक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र में व्यय उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था। जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में विकास एवं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यय उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
- वर्ष 2023-24 के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2024 को लोक निर्माण के विभिन्न प्रभागों में ₹ 921.83 करोड़ की 154 अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं। इन 154 परियोजनाओं में से 48 परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 308.13 करोड़) का अपने पूर्ण होने के लक्ष्य से दो से आठ साल का समय अधिक था जबकि 106 परियोजनाएँ (अनुमानित लागत ₹ 613.70 करोड़) जो वर्ष 2023-24 तक पूर्ण होनी थी, वर्तमान तक अपूर्ण थीं।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में स रा घ उ से कुल राजकोषीय देयताओं के अनुपात में 0.80 प्रतिशत की कमी हुई और यह 23.18 प्रतिशत पर रहा, जो राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) के 33.10 प्रतिशत लक्ष्य से कम था।

2.13 संस्तुतियाँ

- सरकार को लंबित कर दावों को समय पर निपटान, करों के निर्धारण में बकाया का निपटान एवं राजस्व के बकाया की वसूली तथा बेहतर संसाधन जुटाने के लिए करेक्टर राजस्व में सुधार करना चाहिए;

- राज्य सरकार, अपने द्वारा ली गई उधारियों की अत्यधिक उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगा सकती है;
- राज्य सरकार विकास क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन बढ़ा सकती है ताकि इसे उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की औसत के बराबर लाया जा सके;
- राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं के समयबद्ध पूर्णता को सुनिश्चित कर सकती है तथा यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि आगे कोई लागत वृद्धि न हो;
- राज्य सरकार प्रतिभूति कमीशन शुल्क की वसूली सुनिश्चित कर सकती है और इसे प्रतिभूति मोचन निधि में जमा कर सकती है।